अनुक्रमणिका

भाग – ए

जोखिम प्रबंधन

खंड I

अधिकृत डीलर श्रेणी-I के अलावा भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

खंड II

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

खंड III

अधिकृत डीलर श्रेणी-I के लिए सुविधाएं

भाग-बी

अनिवासी बैंकों के खाते

भाग-सी

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन

भाग-डी

रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें

अनुबंध I

अनुबंध II

अनुबंध III

अनुबंध IV

अनुबंध V

अनुबंध VI

अनुबंध VII

अनुबंध VIII

अनुबंध IX

अनुबंध X

अनुबंध XI

अनुबंध XII

अनुबंध XIII

अनुबंध XIV

अनुबंध XV

अनुबंध XVI

अनुबंध XVII

अनुबंध XVIII

अनुबंध XIX

अनुबंध XX

परिशिष्ट

भाग - ए

जोखिम प्रबंधन

खंड I

अधिकृत डीलरों के अलावा भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं श्रेणी-I

भारत में निवासी व्यक्तियों (एडी श्रेणी 1 बैंकों के अलावा) के लिए सुविधाओं को पैराग्राफ ए और बी के तहत विस्तृत किया गया है। **पैराग्राफ ए** संबंधित उत्पाद के लिए उत्पादों और परिचालन दिशानिर्देशों का वर्णन करता है।. ए के तहत परिचालन दिशानिर्देशों के अलावा, निवासियों (एडी श्रेणी 1 बैंकों के अलावा) के लिए सभी उत्पादों पर लागू सामान्य निर्देश पैराग्राफ बी के तहत विस्तृत हैं।

ए. उत्पाद और परिचालन दिशानिर्देश

भारत में निवासी व्यक्तियों (एडी श्रेणी 1 बैंकों के अलावा) के लिए उत्पाद /उद्देश्य-वार सुविधाएं निम्नलिखित उपशीर्षकों के तहत विस्तृत हैं:

1) संविदागत एक्सपोजर

2) संभावित एक्सपोजर

3) विशेष व्यवस्था

1) संविदागत एक्सपोजर

एडी श्रेणी 1 बैंकों को अंतर्निहित दस्तावेजों का प्रमाण देना होगा ताकि अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सके। एडी श्रेणी 1 के बैंकों को दस्तावेजी साक्ष्य के सत्यापन के माध्यम से अंतर्निहित एक्सपोजर की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए, भले ही लेनदेन चालू या पूंजी खाता हो। अनुबंधों का पूरा विवरण उचित प्रमाणीकरण के तहत मूल दस्तावेजों पर चिह्नित किया जाना चाहिए और सत्यापन के लिए रखा जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना संभव नहीं है, मूल दस्तावेजों की एक प्रति, उपयोगकर्ता के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, प्राप्त की जा सकती है। किसी भी मामले में, अनुबंध की पेशकश करने से पहले, एडी श्रेणी 1 बैंकों को ग्राहक से एक वचन पत्र प्राप्त करना चाहिए और वैधानिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना चाहिए (विवरण के लिए सामान्य निर्देशों के लिए पैरा बी (बी) देखें)। जबकि अनुबंध की बुकिंग के समय अंतर्निहित विवरण दर्ज किया जाना चाहिए, लॉजिस्टिक मुद्दों के मद्देनजर, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 दिनों की अवधि की अनुमति दी जा सकती है। यदि ग्राहक द्वारा 15 दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है, और विनिमय लाभ, यदि कोई हो, ग्राहक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक अवसरों पर ग्राहक द्वारा 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों को जमा नहीं करने की स्थिति में, भविष्य में अनुमेय व्युत्पन्न संविदाओं की बुकिंग की अनुमति केवल संविदा की बुकिंग के समय अंतर्निहित दस्तावेजों के उत्पादन के खिलाफ दी जा सकती है।

इस सुविधा के तहत उपलब्ध उत्पाद इस प्रकार हैं:

i) वायदा विदेशी मुद्रा संविदा

प्रतिभागी

बाजार निर्माता - एडी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति

उद्देश्य

ए) फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की बिक्री और/अथवा खरीद की अनुमति वाले लेन-देनों के संबंध में विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए या जारी किए गए नियमों/विनियमों/निदेशों/आदेशों के अनुसार।

बी) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (इक्विटी और ऋण में) के बाजार मूल्य के संबंध में विनिमय दर जोखिम की हेजिंग करना।

> i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) को कवर करने वाले संविदाओं को नियत तिथियों पर रद्द या रोल आउट किया जा सकता है। यदि ओडीआई के बाजार मूल्य के संकुचन (मूल्य आंदोलन / हानि के कारण) के कारण कोई हेज आंशिक या पूर्ण रूप से भेद्य हो जाता है, तो हेज को परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, यदि ग्राहक ऐसा चाहता है। नियत तिथि पर रोलओवर की अनुमति उस तारीख को बाजार मूल्य की सीमा तक दी जाएगी।

सी) विदेशी मुद्रा में अंकित लेकिन भारतीय रुपये में निपटाए गए लेन-देनों के विनिमय दर जोखिम को हेजिंग करना, जिसमें आयात पर देय सीमा शुल्क के संबंध में आयातकों के आर्थिक (मुद्रा अनुक्रमित) एक्सपोजर की हेजिंग शामिल है।

i) ऐसे लेनदेन को कवर करने वाले विदेशी मुद्रा संविदाओं को परिपक्वता पर नकद में निपटाया जाना चाहिए।

ii) एक बार रद्द होने के बाद ये संविदाएं फिर से बुक किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) सीमा शुल्क की दर (दरों) में किसी भी बदलाव की स्थिति में, वायदा संविदाओं की तारीख के बाद सरकारी अधिसूचनाओं के कारण, आयातकों को परिपक्वता से पहले अनुबंधों को रद्द करने और/या फिर से बुक करने की अनुमति दी जा सकती है।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए ध्यान रखे जाने वाले सामान्य नियम।

ए) हेज की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन हेज की मुद्रा और अवधि ग्राहक पर छोड़ी जाती है। जहां हेज की मुद्रा अंतर्निहित एक्सपोजर की मुद्रा से भिन्न है, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट की जोखिम प्रबंधन नीति में इस प्रकार की हेजिंग की अनुमति होनी चाहिए।

बी) जहां अंतर्निहित लेनदेन की सही राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है, संविदा को उचित अनुमानों के आधार पर बुक किया जा सकता है। हालांकि, अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

सी) विदेशी मुद्रा ऋण/बांड केवल रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन दिए जाने के बाद ही हेज के लिए पात्र होंगे, जहां ऐसी स्वीकृति आवश्यक है या रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण संख्या आवंटित की गई है।

डी) वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर)/अमेरिकन निक्षेपागार रसीदें (एडीआर) तभी हेज के लिए पात्र होंगी जब निर्गम कीमत को अंतिम रूप दे दिया गया हो।

ई) खाताधारकों द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों में आगे बेची गई शेष राशि सुपुर्दगी के लिए निर्धारित रहेगी और ऐसे संविदाओं को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि, परिपक्वता पर वे रोलओवर के लिए पात्र हैं।

एफ) अनुबंधित एक्सपोजर्स के मामले में, सभी चालू खाता लेनदेनों के साथ-साथ एक वर्ष या उससे कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले पूंजीगत खाता लेनदेनों के संबंध में मुद्रा के रूप में रुपये को शामिल करने वाले वायदा संविदाओं को स्वतंत्र रूप से रद्द और पुनः बुक किया जा सकता है।

जी) सभी हेज लेनदेनों के संबंध में वायदा संविदाओं के मामले में निवासियों द्वारा बुक की गई मुद्राओं में से एक मुद्रा के रूप में रुपया शामिल होने पर यदि एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ रद्द किया जाता है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ फिर से बुक किया जा सकता है :

(i) प्रस्ताव पर प्रतिस्पर्धी दरों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जिसके साथ संविदा मूल रूप से बुक किया गया था, के साथ बैंकिंग संबंध समाप्त होने के कारण बदलाव की गारंटी है;

(ii) रद्दीकरण और पुनः बुकिंग संविदा की परिपक्वता तिथि पर एक साथ की जाती है; और

(iii) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि मूल संविदा रद्द कर दिया गया है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास है जो संविदा की फिर से बुकिंग करता है।

एच) नीचे दी गई शर्त (i) के अधीन निरस्तीकरण पर वायदा संविदाओं को फिर से बुक किया जा सकता है।

आई) पुन: बुकिंग की सुविधा की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कॉर्पोरेट ने संविदा V में निर्धारित एक्सपोजर जानकारी प्रस्तुत नहीं की हो।

जे) हेजिंग व्यापार लेनदेन के लिए संविदाओं के प्रतिस्थापन की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा उन परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर दी जा सकती है जिनके तहत ऐसा प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रतिस्थापित अंतर्निहित की राशि और अवधि का भी सत्यापन कर सकते हैं।

ii) पारस्परिक मुद्रा विकल्प (क्रॉस करेंसी ऑप्शंस) (जिनमें रुपया शामिल नहीं है)

प्रतिभागी

बाजार निर्माता (मार्केट-मेकर्स)) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है।

उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति

उद्देश्य

ए) व्यापार लेनदेन से उत्पन्न विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

बी) विदेशी मुद्रा में निविदा बोली प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल बिल्कुल सादे वैनिला यूरोपीय विकल्प ऑफर कर सकते हैं।[1]

बी) ग्राहक क्रय या विक्रय विकल्प (कॉल या पुट ऑप्शन) खरीद सकते हैं।

सी) इन लेनदेनों को अंतर्निहित के सत्यापन के अधीन मुक्त रूप से बुक और/या रद्द किया जा सकता है।

डी) पारस्परिक मुद्रा वायदा संविदाओं (क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स) के लिए लागू सभी दिशानिर्देश पारस्परिक मुद्रा विकल्प संविदाओं (क्रॉस करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स) पर भी लागू होते हैं।

ई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा क्रॉस करेंसी ऑप्शंस पूरी तरह से कवर किए गए बैक-टू-बैक आधार पर लिखे जाने चाहिए। कवर लेनदेन भारत के बाहर किसी बैंक, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपतटीय बैंकिंग इकाई या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विकल्प एक्सचेंज या भारत में किसी अन्य एडी श्रेणी I बैंक के साथ किया जा सकता है। विकल्प लिखने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को व्यवसाय शुरू करने से पहले मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 23वीं मंजिल, मुंबई, 400001 से एक बारगी अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

iii) विदेशी मुद्रा – भारतीय रुपया विकल्प

प्रतिभागी

बाजार निर्माता (मार्केट-मेकर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जैसा कि इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपयोगकर्ता - भारत में निवासी व्यक्ति

[1] एक यूरोपीय विकल्प का प्रयोग केवल विकल्प की समाप्ति तिथि पर किया जा सकता है, अर्थात समय में एक पूर्व-निर्धारित बिंदु पर।

उद्देश्य

ए) अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, की अनुसूची I के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोजर्स को हेज करने के लिए।

बी) विदेशी मुद्रा में निविदा बोली प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिनका न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत है, बैक-टू-बैक आधार पर विदेशी मुद्रा - आईएनआर विकल्प प्रदान कर सकते हैं।

बी) वर्तमान में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल सादा वैनिला यूरोपीय विकल्प प्रदान कर सकते हैं।

सी) ग्राहक क्रय या विक्रय विकल्प (कॉल या पुट ऑप्शन) खरीद सकते हैं।

डी) विदेशी मुद्रा-आईएनआर विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के लिए लागू सभी दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प संविदाओं पर भी लागू होते हैं।

ई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिनके पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी/प्रबंधन प्रणाली, बाजार भाव पर दर्शाने वाला तंत्र आदि हैं, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन पर उन्हें शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शन बुक चलाने की अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जो विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शंस बुक चलाने के इच्छुक हैं और नीचे सूचीबद्ध न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड/जोखिम समिति/एएलसीओ) से अनुमोदन की प्रतियों, इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन, विकल्प लेखन के प्रकार और अनुमेय सीमा के लिए बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन के साथ रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड को प्रस्तुत ज्ञापन में अन्य मामलों के साथ-साथ नकारात्मक जोखिमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

न्यूनतम पात्रता मानदंड:

i. निवल मालियत 300 करोड़ रुपये से कम नहीं हो।

ii. सीआरएआर 10 प्रतिशत

iii शुद्ध एनपीए शुद्ध अग्रिमों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो

iv. कम से कम तीन वर्षों के लिए निरंतर लाभप्रदता।

रिज़र्व बैंक आवेदन पर विचार करेगा और अपने विवेकानुसार एक बारगी अनुमोदन प्रदान करेगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन सीमाओं के भीतर विकल्प पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने की अपेक्षा की जाती है।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी बैंक विकल्प प्रीमियम को रुपए में या रुपए/अनुमानिक विदेशी मुद्रा के प्रतिशत के रूप में उद्धृत कर सकते हैं।

जी) संविदा में विनिर्दिष्ट अनुसार परिपक्वता पर विकल्प संविदाओं का निपटान या तो हाजिर आधार पर सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है या हाजिर आधार पर रुपयों में निवल नकद निपटान द्वारा किया जा सकता है। परिपक्वता से पहले लेन-देन को समाप्त करने के मामले में, संविदा का एक समरूप ऑफसेटिंग विकल्प के बाजार मूल्य के आधार पर नकद निपटान किया जा सकता है।

एच) बाजार निर्माताओं को हाजिर और वायदा बाजारों तक पहुंच बनाकर अपने विकल्प पोर्टफोलियो के 'डेल्टा' को हेज करने की अनुमति है। अंतर-बैंक बाजार में विकल्प लेनदेन में प्रवेश करके अन्य 'ग्रीक' को हेज किया जा सकता है।

आई) विकल्प संविदा (ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट) का 'डेल्टा' ओवरनाइट ओपन पोजीशन का हिस्सा होगा।

जे) एजीएल के उद्देश्य के लिए प्रत्येक परिपक्वता के अंत में समान 'डेल्टा' को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक बकाया विकल्प संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता (जीवन) को विभिन्न परिपक्वता बकेट के तहत समूहीकरण के उद्देश्य के आधार के रूप में लिया जा सकता है।

के) ऑप्शन बुक चलाने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शंस में मार्केट मेकिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए बिल्कुल सादे क्रॉस करेंसी ऑप्शन पोजीशन शुरू करने की अनुमति है।

एल) बैंकों को दैनिक आधार पर पोर्टफोलियो को बाजार भाव पर दर्शाने के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए। FEDAI पोल किए गए निहित अस्थिरता अनुमानों का एक मैट्रिक्स दैनिक रूप से प्रकाशित करेगा, जिसका उपयोग बाजार प्रतिभागी अपने पोर्टफोलियो को बाजार भाव पर दर्शाने के लिए कर सकते हैं।

एम) विकल्प संविदाओं के लिए लेखांकन रूपरेखा एफ़ईडीएआई के परिपत्र संख्या एसपीएल-24/एफ़सी-Rupee Options/2003 दिनांक 29 मई 2003 के अनुसार होगी।

iv) विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप

प्रतिभागी

बाजार निर्माता (मार्केट-मेकर्स) - भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता -

i. विदेशी मुद्रा देयता रखने वाले और विदेशी मुद्रा देयता से रुपए देयता में जाने के लिए विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप करने वाले निवासी।

ii. रुपये की देयता वाली और रुपए देयता से विदेशी मुद्रा देयता में जाने के लिए विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप करने वाली निगमित निवासी संस्थाएं, कुछ न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं के अधीन, जैसे कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्राकृतिक हेज या आर्थिक एक्सपोजर। प्राकृतिक हेज या आर्थिक एक्सपोजर के अभाव में, INR-विदेशी मुद्रा स्वैप (रुपए देयता से विदेशी मुद्रा देयता में जाने के लिए) को सूचीबद्ध कंपनियों या न्यूनतम 200 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ गैर-सूचीबद्ध कंपनियों तक सीमित किया जा

सकता है। इसके अलावा, एडी श्रेणी I बैंक को स्वैप की उपयुक्तता और उचितता की जांच करने और कॉर्पोरेट की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधार लेने वालों के लिए विनिमय दर और/या ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर को हेज करने के लिए या लंबी अवधि के आईएनआर उधार को विदेशी मुद्रा देयता में परिवर्तित करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) किसी भी रूप में रुपये या इसके समकक्ष के अग्रिम भुगतान से जुड़े कोई स्वैप लेनदेन नहीं किए जाएंगे।

बी) "दीर्घावधि एक्सपोजर" शब्द का अर्थ है एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले एक्सपोजर।

सी), एक बार रद्द होने के बाद स्वैप लेनदेन, किसी भी तंत्र या उच्चारित किसी भी नाम से, फिर से बुक या फिर से दर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि, FCY-INR स्वैप के मामलों [2]में, जहां अंतर्निहित अभी भी जीवित है, ग्राहक को स्वैप संविदा को रद्द करने पर, केवल रद्द किए गए मूल स्वैप संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद अंतर्निहित को हेज करने के लिए एक नए स्वैप में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, INR-FCY स्वैप के लिए इस लचीलेपन की अनुमति नहीं है।

डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को लीवरेज्ड स्वैप संरचना ऑफर नहीं करनी चाहिए। विशिष्ट रूप से, लीवरेज्ड स्वैप संरचनाओं में, योग के अलावा एक गुणक कारक बेंचमार्क दर(ओं) से जुड़ा होता है, जो देय या प्राप्य को ऐसे कारक की अनुपस्थिति की स्थिति की तुलना में बदल देता है।

ई) अदला-बदली की अनुमानित मूल राशि अंतर्निहित ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एफ) स्वैप की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की शेष परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v) लागत में कमी की संरचनाएं अर्थात क्रॉस मुद्रा विकल्प लागत में कमी की संरचना और विदेशी मुद्रा-INR विकल्प लागत में कमी की संरचना।

प्रतिभागी

बाजार निर्माता (मार्केट-मेकर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता - सूचीबद्ध कंपनियाँ और उनकी सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम / सहयोगी जिनके पास साझा खजाना और समेकित बैलेंस शीट या असूचीबद्ध कंपनियाँ जिनकी न्यूनतम निवल मालियत रु. 200 करोड़ हैं

बशर्ते

ए. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि ऐसे सभी उत्पाद उचित मूल्य के हों;

[2] ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 78 दिनांक 13 फरवरी 2015

बी. कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों और ऐसे उत्पादों/संविदाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अन्य लागू दिशानिर्देशों का पालन करती हैं, साथ ही विवेक के सिद्धांत का भी पालन करती हैं, जिसमें अनुमानित नुकसान की पहचान और अप्राप्त अभिलाभ की गैर पहचान अपेक्षित होता है।

सी. आईसीएआई की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 2 दिसंबर 2005 में निर्धारित अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किए गए हैं; और

डी. कंपनियों के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति हो, नीति में एक विशिष्ट खंड हो जो लागत कमी संरचनाओं के प्रकार/ओं का उपयोग करने की अनुमति देती है।

(ध्यान दें: उपर्युक्त लेखांकन उपचार ए एस 30/32 या समकक्ष मानकों को अधिसूचित किए जाने तक एक संक्रमणकालीन व्यवस्था है।)"

उद्देश्य

व्यापार लेनदेन, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के समक्ष घरेलू स्तर पर लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न होने वाले विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) उपयोगकर्ताओं द्वारा एकल आधार पर विकल्प लिखने अनुमति नहीं है।

बी) उपयोगकर्ता बिल्कुल सादे यूरोपीय विकल्पों की एक साथ खरीद और बिक्री की विकल्प रणनीतियों में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रीमियम की कोई शुद्ध प्राप्ति न हो।

सी) लीवरेज्ड संरचनाएं, डिजिटल विकल्प, अवरोधक विकल्प, सीमा उपचय और किसी भी अन्य विदेशी उत्पादों की अनुमति नहीं है।

डी) संरचना की अवधि पर गणित संरचना के वृहदतम अनुमानिक भाग की अंतर्निहित उद्देश्य के लिए गणना की जानी चाहिए।

ई) अवधि पत्रक में विकल्पों के डेल्टा को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, उपयोगकर्ताओं के विदेशी मुद्रा संचालन के पैमाने और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जैसे कि निरंतर लाभप्रदता, उच्च निवल मालियत, टर्नओवर आदि निर्धारित कर सकते हैं।

जी) हेज की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसी के अनुरूप उपयोगकर्ता हेज की अवधि चुन सकते हैं। व्यापार लेनदेन के अंतर्निहित होने के मामले में, संरचना की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

एच) उपयोगकर्ताओं को एमटीएम की स्थिति के बारे में समय-समय पर सूचित किया जाना चाहिए।

vi) विदेशी मुद्रा में उधार की हेजिंग, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार है।

उत्पाद - ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप, कूपन स्वैप, क्रॉस करेंसी विकल्प, ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद), वायदा दर करार(FRA)

प्रतिभागी

बाजार निर्माता -

ए) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

बी) भारत में विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत भारतीय बैंक की भारत के बाहर शाखा

सी) भारत में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई।

उपयोगकर्ता -

भारत में निवासी व्यक्ति जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार ली है।

उद्देश्य

ऋण एक्सपोजर पर ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए और ऐसे हेज से छुटकारा पाने के लिए।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार उत्पादों में किसी भी परिस्थिति में रुपया शामिल नहीं होना चाहिए।

बी) विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन या ऋण पंजीकरण संख्या आवंटित की गई है।

सी) उत्पाद की अनुमानित मूल राशि विदेशी मुद्रा ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डी) उत्पाद की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की असमाप्त परिपक्वता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) संविदाओं को स्वतंत्र रूप से रद्द और पुन: बुक किया जा सकता है।

2) पिछले निष्पादनके आधार पर संभावित एक्सपोजर

प्रतिभागी

बाजार निर्माता (मार्केट-मेकर्स) - भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता - वस्तुओं और सेवाओं के आयातक और निर्यातक

उद्देश्य

एक्सपोजर की घोषणा के आधार पर और पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के औसत वास्तविक आयात/निर्यात टर्नओवर या विगत वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात टर्नओवर प्रदर्शन, जो भी उच्च हो, के आधार पर मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए। विगत निष्पादनके आधार पर संभावित एक्सपोजर की हेजिंग केवल पण्य वस्तुओं के व्यापार के साथ-साथ सेवाओं के संबंध में ही की जा सकती है।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएँ, क्रॉस करेंसी ऑप्शंस (रुपया शामिल नहीं है), विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प और लागत में कमी संरचनाएँ [जैसा कि खंड बी पैरा I 1(v) में बताया गया है]।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) रुपये 200 करोड़ की न्यूनतम निवल मालियत और रुपये 1000 करोड़ से अधिक का वार्षिक निर्यात और आयात कारोबार करने वाले और खंड बी पैरा I 1(v) में निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करने वाले कॉरपोरेट को लागत में कमी संरचनाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

बी) चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान बुक की गई संविदाएँ और किसी भी समय बकाया संविदा निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए

i. पात्र सीमा अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वास्तविक निर्यात टर्नओवर का औसत या पिछले वर्ष का वास्तविक निर्यात टर्नओवर, जो भी निर्यात के लिए अधिक हो।

ii. पात्र सीमा का सौ प्रतिशत अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वास्तविक आयात टर्नओवर का औसत या पिछले वर्ष का वास्तविक आयात टर्नओवर, जो भी आयात के लिए अधिक हो। आयातक, जिन्होंने पहले ही चालू वित्त वर्ष में पचास प्रतिशत की पिछली सीमा तक संविदा बुक कर ली हैं, बढ़ी हुई सीमा से उत्पन्न होने वाले अंतर के लिए पात्र होंगे।

सी) उपर्युक्त पैरा (बी) (i) और (बी) (ii) में उल्लिखित पात्र सीमा के 75 प्रतिशत तक के साथ बुक की गई संविदाओं को हानि उठा रहे या लाभ के हकदार निर्यातक / आयातक, जो भी मामला हो, के साथ रद्द किया जा सकता है। उपर्युक्त पैरा (बी) (i) और (बी) (ii) में उल्लिखित पात्र सीमा के 75 प्रतिशत से अधिक बुक की गई संविदाएँ सुपुर्दगी के आधार पर होंगी और इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि रद्द करने की स्थिति में, निर्यातक/ आयातक को हानि उठाना पड़ेगा लेकिन अभिलाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

डी) आयात/निर्यात लेनदेनों के लिए इन सीमाओं की गणना अलग से की जाएगी।

ई) वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करने पर मामला-दर-मामला आधार पर उच्च सीमा की अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त सीमाएं, यदि स्वीकृत की जाती हैं, सुपुर्दगी के आधार पर होंगी।

एफ) दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना बुक की गई किसी भी संविदा को इस सीमा के समक्ष मार्क ऑफ किया जाएगा। एक बार रद्द किए जाने के बाद ये संविदाएँ फिर से बुक किए जाने के योग्य नहीं हैं। रोलओवर की भी अनुमति नहीं है।

जी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों को केवल निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन से संतुष्ट होने के बाद ही विगत निष्पादन सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दें :

i. ग्राहक से एक वचनबंध लिया जा सकता है कि बुक की गई सभी संविदाओं की परिपक्वता से पहले समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

ii.आयातकों और निर्यातकों को अनुलग्नक VI के अनुसार, इस सुविधा के तहत अन्य प्राधिकृत श्रेणी I बैंकों के पास बुक की गई राशि के संबंध में मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कंपनी सचिव (CS) द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रैमासिक घोषणा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को प्रस्तुत करनी चाहिए। कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, मुख्य वित्तीय अधिकारी के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) वचनबंध पर सह-हस्ताक्षर करेंगे।

iii. एक निर्यातक ग्राहक के इस सुविधा के पात्र होने के लिए, अतिदेय बिलों की कुल राशि टर्नओवर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में संतुष्ट होने पर अनुलग्नक VII में दिए गए प्रारूप के अनुसार मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कंपनी सचिव (CS) द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ की जांच के बाद पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक के कुल बकाया संविदाओं की अनुमति दी जा सकती है। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• एक घोषणा कि इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है; और।

• पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राहक के आयात/निर्यात टर्नओवर का प्रमाण पत्र।

कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, मुख्य वित्तीय अधिकारी के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीओओ) वचनबंध पर सह-हस्ताक्षर करेंगे।

एच) संविदाओं को रद्द करने या परिपक्वता पर एक बार उपयोग की गई विगत निष्पादन सीमा को बहाल नहीं किया जाना है।

आई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विगत निष्पादन सीमाओं का आकलन करें। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लेखापरीक्षित आंकड़े (पिछले वर्ष) तैयार करने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि, यदि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि से तीन महीने के भीतर विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो अंकेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करने तक सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

जे) वार्षिक लेखापरीक्षा अभ्यास के भाग के रूप में, सांविधिक लेखापरीक्षक निम्नलिखित को प्रमाणित करेगा:

• इस सुविधा के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के पास बुक की गई राशि; और

• विगत वित्तीय वर्ष में इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।

के) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को पूर्व-सौदा स्तर पर विगत निष्पादन सीमाओं का सत्यापन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। ग्राहक घोषणाओं के अलावा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को ग्राहकों के साथ पिछले लेनदेन, टर्नओवर आदि का भी आकलन करना चाहिए।

एल) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुबंध X में निर्धारित अनुसार इस सुविधा के तहत उनके ग्राहकों को प्रदान की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई सीमाओं पर एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3) विशेष वितरण

i) लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)

प्रतिभागी

बाज़ार निर्माता (मार्केट-मेकर्स) - AD श्रेणी I।

उपयोगकर्ता - लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)[3]

उद्देश्य

विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एसएमई के प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष जोखिम को हेज करने के लिए

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएँ

परिचालन संबंधी दिशानिर्देश: लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) जिनके पास विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर हैं, उन्हें अपने एक्सपोजर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए बिना वायदा संविदाओं को बुक/रद्द//रोल ओवर करने की अनुमति है:

ए) ऐसी संविदाएँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं जिनके पास एसएमई की क्रेडिट सुविधाएं हैं और बुक की गई कुल वायदा संविदाएँ उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं या उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या पूंजीगत व्यय के लिए उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के अनुरूप होने चाहिए।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक 'व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) पर व्यापक दिशानिर्देश' डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 दिनांक 2 नवंबर 2011 के पैरा 8.3 के अनुसार

[3] ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्र दिनांक 4 अप्रैल 2007 ग्राआऋवि.पीएलएनएस.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 के माध्यम से परिभाषित एसएमई।

एसएमई ग्राहकों के लिए वायदा संविदाओं की "उपयोगकर्ता उपयुक्तता" और "उपयुक्तता" के संबंध में समुचित सावधानी बरतें।

सी) इस सुविधा का लाभ उठाने वाले एसएमई को इस सुविधा के तहत अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ पहले से बुक वायदा संविदाओं की राशि, यदि कोई हो, के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ii) निवासी व्यक्ति, फर्म और कंपनियां

प्रतिभागी

बाजार निर्माता (मार्केट-मेकर्स) - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता : निवासी व्यक्ति, फर्म और कंपनियां

उद्देश्य

आवक और जावक दोनों तरह के वास्तविक या प्रत्याशित विप्रेषणों से उत्पन्न होने वाले अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए, स्वयं घोषणा के आधार पर, अंतर्निहित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना, 1,000,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर) की सीमा तक वायदा संविदा बुक कर सकते हैं।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएँ और FCY-INR विकल्प

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए) जबकि इस सुविधा के तहत बुक की गई संविदाएँ सामान्य रूप से सुपुर्दगी के आधार पर होंगे, संविदाओं को रद्द करने और फिर से बुक करने की अनुमति है। यद्यपि संस्था के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, रद्द की गई संविदाओं की पुन: बुकिंग के समय, यदि आवश्यक समझा जाए, अंतर्निहित दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं। किसी भी समय बकाया संविदाओं का अनुमानिक मूल्य 1,000,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए।

बी) संविदाओं को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए बुक करने की अनुमति दी जा सकती है।

सी) ऐसी संविदाएँ अनुबंध XV में दिए गए प्रारूप में आवेदन-सह-घोषणा के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं जिनके साथ निवासी व्यक्ति/फर्म/कंपनी का बैंकिंग संबंध है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि हेजिंग संस्थाएं वायदा संविदाओं या FCY-INR विकल्पों की बुकिंग में निहित जोखिम की प्रकृति को समझती हैं और ऐसे ग्राहक के लिए वायदा संविदाओं / FCY- INR की "उपयोगकर्ता उपयुक्तता" और "उपयुक्तता" के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

बी. भारत में निवासियों द्वारा किए गए ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के लिए सामान्य अनुदेश

जबकि ऊपर बताए गए दिशानिर्देश विशिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव को नियंत्रित करते हैं, ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण विचारों के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत और सुरक्षा उपाय नीचे दिए गए हैं। विशिष्ट विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पाद के तहत दिशानिर्देशों के अलावा, सामान्य निर्देशों का उपयोगकर्ताओं (एडी श्रेणी I बैंकों के अलावा भारत में निवासी) और बाजार निर्माताओं (एडी श्रेणी I बैंकों) द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

ए) सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में [आईएनआर- विदेशी मुद्रा स्वैप को छोड़कर यानी खंड बी पैरा I(1)(iv) के अनुसार आईएनआर देयता से विदेशी मुद्रा देयता में जाना], प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ग्राहकों से इस आशय का एक घोषणा पत्र लें कि एक्सपोजर की हेजिंग नहीं की गई है और इसे किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ हेज नहीं किया गया है। कॉरपोरेट्स को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रदान करना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि डेरिवेटिव लेनदेन प्राधिकृत हैं और बोर्ड (साझेदारी या मालिकाना फर्मों के मामले में समकक्ष मंच) को इसकी जानकारी है।

बी) **संविदागत एक्सपोजर** के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को निम्नलिखित प्राप्त करना होगा:

i) ग्राहक से एक वचनपत्र कि उसी अंतर्निहित एक्सपोजर को किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/बैंकों के साथ कवर नहीं किया गया है। जहां एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ एक ही एक्सपोजर की हेजिंग भागों में ली गई है, तो अन्य प्राधिकृत श्रेणी I बैंक/बैंकों के पास पहले से बुक की गई राशि का विवरण घोषणा में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। यह घोषणा सौदे की पुष्टि के एक भाग के रूप में भी प्राप्त की जा सकती है।

ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों से इस आशय का वार्षिक प्रमाणपत्र कि वर्ष के दौरान किसी भी समय सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ बकाया संविदाएं उस समय अंतर्निहित एक्सपोजर के मूल्य से अधिक नहीं थीं। तथापि, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी बैंक को ग्राहक के साथ कोई डेरिवेटिव लेनदेन करते समय ग्राहक से इस आशय का एक वचनपत्र प्राप्त करना होगा कि जिस संविदागत एक्सपोजर जिसके समक्ष डेरिवेटिव लेनदेन बुक किया जा रहा है, उसका किसी अन्य एडी बैंक के साथ किसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

सी) व्युत्पन्न विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, INR- विदेशी मुद्रा स्वैप के मामले में, शुरुआत में, उपयोगकर्ता मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए एक बारगी बिल्कुल सादे पारस्परिक मुद्रा विकल्प (रुपये को शामिल नहीं) में प्रवेश कर सकता है।

डी) किसी डेरिवेटिव संविदा में, अनुमानिक राशि किसी भी समय वास्तविक अंतर्निहित एक्सपोजर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डेरिवेटिव संविदाओं की अवधि अंतर्निहित जोखिम की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण लेन-देन की पूरी अवधि के लिए अनुमानिक राशि की गणना की जानी चाहिए और अंतर्निहित एक्सपोजर को डेरिवेटिव संविदा की अनुमानित राशि के अनुरूप होना चाहिए।

ई) एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशिष्ट एक्सपोजर/उसके भाग के लिए केवल एक हेज लेनदेन बुक किया जा सकता है।

एफ) डेरिवेटिव लेनदेनों (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़कर) के लिए टर्म शीट में निम्नलिखित का अनिवार्य रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए:

i) लेन-देन के उद्देश्य का विवरण देना कि कैसे उत्पाद और इसके प्रत्येक घटक ग्राहक को हेजिंग में मदद करते हैं;

ii) लेन-देन के निष्पादन के समय प्रचलित हाजिर दर; और

iii) विभिन्न परिदृश्यों में अधिकतम नुकसान/सबसे खराब नकारात्मक पहलू।

जी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल उन्हीं उत्पादों को ऑफर कर सकते हैं जिनकी वे स्वतंत्र रूप से कीमत तय कर सकते हैं। यह बैक टू बैक आधार पर ऑफर किए गए उत्पादों पर भी लागू होता है। सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पादों का मूल्य हर समय स्थानीय रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।

एच) बाजार निर्माता संख्या बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 दिनांक 2 नवंबर 2011 में वर्णित अनुसार उपयोगकर्ताओं को डेरिवेटिव उत्पाद (वायदा संविदाओं को छोड़कर) ऑफर करने से पहले उत्पादों की 'उपयोगकर्ता उपयुक्तता' और 'उपयुक्तता' के संबंध में उचित सावधानी बरतें।

आई) AD श्रेणी I उपयोगकर्ता के साथ विभिन्न परिदृश्य विश्लेषण साझा कर सकता है जिसमें उत्पाद को प्रभावित करने वाले विभिन्न बाजार मापदंडों की पहचान करने वाले दोनों संभावित चढ़ाव और उतार पक्ष और संवेदनशीलता विश्लेषण शामिल हैं।

जे) 20 अप्रैल 2007 के डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.86/21.04.157/2006-07 द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देशों के प्रावधान विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर भी लागू होते हैं।

के) बैंकों के बीच डेरिवेटिव पर जानकारी साझा करना अनिवार्य है और जैसा कि परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.46/08.12.001/2008-09 दिनांक 19 सितंबर 2008 और डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.94/08.12.001/2008-09 दिनांक 8 दिसंबर 2008 में विस्तृत है।

4. मान्यता प्राप्त स्टॉक/नए एक्सचेंजों पर करेंसी फ्यूचर्स

भारत में डेरिवेटिव बाजार को और विकसित करने के एक भाग के रूप में और निवासियों और अनिवासियों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा हेजिंग टूल के मौजूदा मेनू में जोड़ने के लिए, करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या देश में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त नए एक्सचेंजों में कारोबार करने की अनुमति दी गई है। करेंसी फ्यूचर्स बाजार समय-समय पर रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा जारी निदेशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों के अधीन कार्य करेगा।

भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45W के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक जारी करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 [अधिसूचना संख्या FED.1/DG(SG)-2008

दिनांक 6 अगस्त, 2008] (निदेश) और अधिसूचना संख्या FED.2/ED (HRK)-2009 दिनांक 19 जनवरी 2010 में निहित निदेशों के अधीन भारत में करेंसी फ्यूचर्स बाजार में भाग लेने की अनुमति है।

करेंसी फ्यूचर्स निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

अनुमति

(i) अमेरिकी डॉलर (USD) - भारतीय रुपया (INR), यूरो (EUR) -INR, जापानी येन (JPY) -INR और पाउंड स्टर्लिंग (GBP) -INR में करेंसी फ्यूचर्स की अनुमति है।

(ii) 'भारत में निवासी व्यक्ति' नीचे पैरा 6 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं को खरीद या बेच सकते हैं।

(iii) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भाग ए, खंड II, पैराग्राफ संख्या 2 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं में भाग लेने की अनुमति है।.

करेंसी फ्यूचर्स की विशेषताएं

मानकीकृत करेंसी फ्यूचर्स में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी :

ए. USD-INR, EUR-INR, GBP-INR और JPY-INR संविदाओं को व्यापार करने की अनुमति है।

बी. प्रत्येक संविदा का आकार USD-INR संविदाओं के लिए USD 1000, यूरो-INR संविदाओं के लिए यूरो 1000, GBP-INR संविदाओं के लिए GBP 1000 और JPY-INR संविदाओं के लिए JPY 100,000 होगा।

सी. संविदाओं को भारतीय रुपये में उद्धृत और निपटान किया जाएगा।

डी. संविदाओं की परिपक्वता 12 महीने से अधिक नहीं होगी।

ई. USD-INR और यूरो-INR संविदाओं के लिए निपटान कीमत रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें होंगी और GBP-INR और JPY-INR संविदाओं के लिए निपटान कीमत अंतिम ट्रेडिंग दिवस पर रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित विनिमय दरें होंगी।

सदस्यता

(i) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के करेंसी फ्यूचर्स बाजार की सदस्यता इक्विटी डेरिवेटिव खंड (सेगमेंट) या नकदी खंड (कैश सेगमेंट) की सदस्यता से अलग होगी। करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग और क्लियरिंग दोनों के लिए सदस्यता सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

(ii) रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत 'प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक' के रूप में प्राधिकृत बैंकों को उनके स्वयं के खाते पर और उनके ग्राहकों की ओर से, न्यूनतम विवेकपूर्ण

आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के करेंसी फ्यूचर्स बाजार के ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने की अनुमति है।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों से तत्संबंधी अनुमोदन के अधीन केवल ग्राहक के रूप में करेंसी फ्यूचर्स बाजार में भाग ले सकते हैं।

स्थिति सीमाएं

i. करेंसी फ्यूचर्स बाजार में प्रतिभागियों के विभिन्न वर्गों के लिए स्थिति सीमा सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

ii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विवेकपूर्ण सीमाओं, जैसे निवल खुली स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल (एजी) सीमाओं के भीतर परिचालन करेंगे।

जोखिम प्रबंधन के उपाय

करेंसी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग प्रारंभिक, अत्यधिक नुकसान और कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बनाए रखने के अधीन होगी और एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों / समाशोधन गृहों को सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा इस तरह के मार्जिन का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

निगरानी और प्रकटीकरण

करेंसी फ्यूचर्स बाजार में लेन-देन की निगरानी और प्रकटीकरण सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों / समाशोधन निगमों को प्राधिकरण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण के बिना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और उनके संबंधित समाशोधन निगम / समाशोधन गृह, करेंसी फ़्यूचर्स में डील या अन्यथा करेंसी फ़्यूचर्स संबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे।

5. मान्यता प्राप्त स्टॉक/नए एक्सचेंजों पर मुद्रा विकल्प

निवासियों और अनिवासियों के लिए उपलब्ध एक्सचेंज ट्रेडेड हेजिंग टूल के मौजूदा मेनू का विस्तार करने के लिए, बिल्कुल सादी मुद्रा विकल्प संविदाओं को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या देश में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यता प्राप्त नए एक्सचेंजों में कारोबार करने की अनुमति दी गई है। एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

अनुमति

(i) एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प संविदाएँ यूएस डॉलर (यूएसडी) - भारतीय रुपया (आईएनआर) में अनुमत हैं।

(ii) 'भारत में निवासी व्यक्ति' नीचे पैरा 6 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प संविदाओं को खरीद या बेच सकते हैं।

(iii) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भाग ए, खंड II, पैराग्राफ संख्या 2 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प संविदाओं में प्रवेश करने की अनुमति है।

एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों की विशेषताएं

मानकीकृत एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

i. मुद्रा विकल्प के लिए अंतर्निहित यूएस डॉलर - भारतीय रुपया (यूएसडी-आईएनआर) हाजिर दर होगी।

ii. विकल्प प्रीमियम स्टाइल वाले यूरोपीय क्रय और विक्रय विकल्प होंगे।

iii. प्रत्येक संविदा का आकार 1000 अमरीकी डॉलर होगा।

iv. प्रीमियम रुपये के संदर्भ में उद्धृत किया जाएगा। बकाया स्थिति यूएसडी में होगी।

v. संविदा की परिपक्वता बारह महीने से अधिक नहीं होगी।

vi. संविदाओं का निपटान भारतीय रुपये में नकद में किया जाएगा।

vii. निपटान कीमत संविदाओं की समाप्ति की तिथि को रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर होगी।

सदस्यता

i) करेंसी फ्यूचर्स बाजार में व्यापार के लिए सेबी के साथ पंजीकृत सदस्य किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प बाजार में व्यापार करने के पात्र होंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग और क्लियरिंग दोनों के लिए सदस्यता सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 के तहत 'प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक' के रूप में प्राधिकृत बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन अपने खाते पर और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट के ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने की अनुमति है:

ए) न्यूनतम निवल मालियत रुपये 500 करोड़।

बी) न्यूनतम सीआरएआर 10 प्रतिशत।

सी) निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

डी) पिछले 3 वर्षों के लिए शुद्ध लाभ कमाया हो।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जो विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प संविदाओं के व्यापार और समाशोधन और जोखिमों के प्रबंधन के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन के साथ विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करें।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक, जो उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक, जो शहरी सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों से अनुमोदन के अधीन एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प बाजार में केवल ग्राहकों के रूप में भाग ले सकते हैं।

स्थिति सीमाएँ

i) मुद्रा विकल्पों के लिए विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों की स्थिति सीमाएँ सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विवेकपूर्ण सीमाओं, जैसे निवल खुली स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल (एजी) सीमाओं के भीतर परिचालन करेंगे।

जोखिम प्रबंध उपाय

एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों की ट्रेडिंग प्रारंभिक, अत्यधिक नुकसान और कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बनाए रखने के अधीन होगी और एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों / समाशोधन गृहों को सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा इस तरह के मार्जिन का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

निगरानी और प्रकटीकरण

एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प बाजार में लेन-देन की निगरानी और प्रकटीकरण, सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

करेंसी ऑप्शंस में डील करने के लिए एक्सचेंजों / समाशोधन निगमों को प्राधिकरण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकरण के बिना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और उनके संबंधित समाशोधन निगम / समाशोधन गृह, एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प में डील या अन्यथा एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्प संबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे।

6. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ETCD) में भाग लेने वाले निवासियों के लिए नियम और शर्तें

ए. घरेलू प्रतिभागियों को किसी भी अंतर्निहित एक्सपोजर के अस्तित्व को स्थापित किए बिना प्रति एक्सचेंज 15 मिलियन अमरीकी डॉलर तक यूएसडी-आईएनआर जोड़ी में एक दीर्घ (खरीदी) और साथ ही लघु (बिक्री) स्थिति लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा, घरेलू प्रतिभागियों को किसी भी अंतर्निहित के अस्तित्व को स्थापित किए बिना EUR-INR, GBP-INR और JPY-INR जोड़े में सभी को मिलाकर प्रति एक्सचेंज USD 5 मिलियन के समकक्ष तक दीर्घ और लघु स्थिति लेने की अनुमति निगरानी की सुविधा के

लिए, एक्सचेंज यूएसडी के अलावा अन्य मुद्राओं में संविदाओं के लिए निश्चित सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जो कि ये सीमाएं 5 मिलियन यूएसडी के बराबर हैं। इन सीमाओं की निगरानी एक्सचेंजों द्वारा की जाएगी और उल्लंघन, यदि कोई हो, की सूचना वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी।

बी. घरेलू सहभागी जो ईटीसीडी बाजार में ऊपर पैरा (ए) में उल्लिखित सीमा से अधिक की स्थिति लेना चाहते हैं, उन्हें अंतर्निहित एक्सपोजर के अस्तित्व को स्थापित करना होगा। इसके लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

i. प्रतिभागियों के लिए जो माल और सेवाओं के निर्यातक या आयातक हैं, पात्र सीमा जिस तक वे ETCDs में उपयुक्त हेजिंग पोजीशन ले सकते हैं, (I) पिछले तीन वर्षों के निर्यात या आयात औसत टर्नओवर के या (II) पिछले वर्ष का निर्यात या आयात कारोबार, दोनों में से अधिक के रूप में निर्धारित की जाएगी।

ii.प्रतिभागियों को एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य को ऊपर उल्लिखित सीमा (ओं) के संबंध में अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक वचनबंध कि बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं और बकाया ईटीसीडी संविदाओं की कुल राशि वास्तविक संविदागत निर्यात या आयात के अनुरूप होगी, जैसा भी मामला हो।

iii. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के आधार पर, एक ट्रेडिंग सदस्य संबंधित ग्राहक की ओर से [उपर्युक्त पैरा (i) के अनुसार] पात्र सीमा के पचास प्रतिशत तक ETCD संविदा बुक कर सकता है। यदि कोई प्रतिभागी ETCD में पात्र सीमा के पचास प्रतिशत से अधिक की स्थिति लेना चाहता है, तो उसे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) या कंपनी के वित्त और खातों के लिए जिम्मेदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी और कंपनी सचिव से एक हस्ताक्षरित इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं और बकाया ईटीसीडी संविदाओं का कुल योग पात्र सीमाओं के अनुरूप है। कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सीएफओ या कंपनी के वित्त और खातों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठतम अधिकारी के साथ वचनबंध को हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह के वचनबंध के आधार पर, ट्रेडिंग सदस्य ईटीसीडी संविदाओं को पचास प्रतिशत से अधिक और उपर्युक्त पैराग्राफ (i) में उल्लिखित सीमा तक बुक कर सकता है।

iv. अन्य सभी प्रतिभागियों के लिए जिनके पास चालू और पूंजी खाता लेनदेन दोनों के संबंध में अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, साथ ही निर्यातकों और आयातकों के लिए जो संविदागत एक्सपोजर के आधार पर ईटीसीडी बाजार तक पहुंच बनाना चाहते हैं, उन्हें ट्रेडिंग सदस्यों के रूप में काम कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के माध्यम से लेनदेन करना होगा। ऐसे मामलों में, अंतर्निहित जोखिमों के सत्यापन और यह सुनिश्चित करना कि खरीदी/बेची गई ETCD अंतर्निहित एक्सपोजर के अनुरूप है तथा यह कि उसी अंतर्निहित एक्सपोजर के लिए कोई OTC संविदा बुक नहीं की गई है, उक्त जिम्मेदारी संबंधित (एडी श्रेणी I बैंक) की होगी।

v. उपर्युक्त पैराग्राफ (iv) में शामिल प्रतिभागियों को छोड़कर, ईटीसीडी बाजार में सभी प्रतिभागियों को एक्सचेंज के संबंधित ट्रेडिंग सदस्य को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या कंपनी के वित्त और खातों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठतम अधिकारी और कंपनी सचिव (सीएस) से हस्ताक्षरित इस आशय का अर्ध-वार्षिक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा कि बकाया ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं और बकाया ईटीसीडी संविदाओं का कुल योग पात्र सीमाओं के अनुरूप है। कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सीएफओ या कंपनी के वित्त और खातों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठतम अधिकारी के साथ वचनबंध पर सह-हस्ताक्षर करेंगे।

सी. यह नोट किया जाए कि इस परिपत्र के प्रावधानों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी भागीदार की है और किसी भी उल्लंघन के मामले में प्रतिभागी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों, निदेशों आदि के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराएगा।

7. कमोडिटी हेजिंग

भारत में निवासी, जो आयात और निर्यात व्यापार में लगे हुए हैं या अन्यथा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं, को अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में अनुमत वस्तुओं के कीमत जोखिम को हेज करने की अनुमति है। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य डेरिवेटिव उत्पाद के संयोजन में नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि यहां प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका मुख्य रूप से अंतर्निहित एक्सपोजर के सत्यापन के अधीन समय-समय पर मार्जिन आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा राशियों को विप्रेषित करने की सुविधा प्रदान करना है। विदेशी प्रतिपक्षों के साथ ग्राहकों द्वारा किए गए कमोडिटी डेरिवेटिव लेनदेन से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिए प्रत्यक्ष विप्रेषण करने के बदले, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अनुबंध XV में निहित शर्तों /दिशानिर्देशो के अधीन कमोडिटी डेरिवेटिव्स से संबंधित इन विशिष्ट भुगतान दायित्वों को कवर करने के लिए गारंटी/अतिरिक्त साख पत्र जारी कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड शब्द, जहां भी इस्तेमाल किया जाता है, निदेशक मंडल या साझेदारी या मालिकाना फर्मों के मामले में समकक्ष फोरम को संदर्भित करता है। सुविधा निम्नलिखित श्रेणियों में बांटी गई है:

I) प्रत्यायोजित मार्ग

ए. वस्तुओं के वास्तविक आयात/निर्यात पर कीमत जोखिम की हेजिंग

प्रतिभागी

उपयोगकर्ता : भारत में कमोडिटी के आयात और निर्यात में रत कंपनियां।

सुविधाप्रदाता : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उद्देश्य : आयातित/निर्यातित कमोडिटी के कीमत जोखिम को हेज करना

उत्पाद : अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफ़ाइल अनुमत करती है तो विदेशों में ओटीसी संविदाओं का उपयोग कर सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत एवं विशिष्ट न्यूनतम मानदंडों को पूर्ण करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों / बाजारों में किसी भी कमोडिटी (सोना, चांदी, प्लेटिनम को छोड़कर) के संबंध में आयात / निर्यात पर कीमत जोखिम को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं। दिशानिर्देश अनुबंध XI (ए और बी) में दिए गए हैं।

बी. कच्चे तेल के प्रत्याशित आयात की हेजिंग

प्रतिभागी

उपयोगकर्ता : कच्चे तेल की रिफाइनिंग में लगी घरेलू कंपनियां।

सुविधाप्रदाता : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उद्देश्य : पिछले निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के आयात पर कीमत जोखिम को हेज करना।

उत्पाद : अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफ़ाइल अनुमत करती है तो विदेशों में ओटीसी संविदाओं का उपयोग कर सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश :

ए) पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक आयात की मात्रा के 50 प्रतिशत तक या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, तक हेजिंग की अनुमति दी जाए।

बी) इस सुविधा के तहत बुक की गई संविदाओं को हेज की अवधि के दौरान समर्थक आयात ऑर्डर्स को प्रस्तुत करके नियमित करना होगा। कंपनियों से इस आशय का एक वचनबंध प्राप्त किया जाए।

सी) अनुबंध XI के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

सी. घरेलू खरीद और बिक्री पर कीमत जोखिम की हेजिंग

(i) धातुओं का चयन

प्रतिभागी

उपयोगकर्ता : किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, निकल और जस्ता के घरेलू उत्पादक/उपयोगकर्ता।

सुविधाप्रदाता : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक **उद्देश्य**: एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, निकल और जस्ता के कीमत जोखिम को उनके अंतर्निहित आर्थिक एक्सपोजर के आधार पर हेज करना

उत्पाद : अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)।

परिचालन दिशानिर्देश :

ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के औसत वास्तविक खरीद/बिक्री या पिछले वर्ष की वास्तविक खरीद/बिक्री टर्नओवर, उपर्युक्त में से जो भी अधिक हो, तक हेजिंग की अनुमति दी जा सकती है।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि उपयोगकर्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला एक बोर्ड संकल्प प्रस्तुत करें जो उस समग्र ढांचे को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत डेरिवेटिव गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए और जोखिमों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

सी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

(ii) एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल)

प्रतिभागी

उपयोगकर्ता : एटीएफ के वास्तविक घरेलू उपयोगकर्ता।

सुविधाकर्ता : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उद्देश्य : घरेलू खरीद के आधार पर एटीएफ के संबंध में आर्थिक एक्सपोजर की हेजिंग करना।

उत्पाद : अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल अनुमति देती है तो विदेशों में ओटीसी संविदाओं का उपयोग कर सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश :

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एटीएफ की हेजिंग की अनुमति केवल पुख्ता ऑर्डर पर ही दी गई है।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य अपने पास रखें।

सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि उपयोगकर्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला एक बोर्ड संकल्प प्रस्तुत करें जो उस समग्र ढांचे को परिभाषित करता है जिसके अंतर्गत डेरिवेटिव गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए और जोखिमों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

डी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

(iii) कच्चे तेल की घरेलू खरीद और पेट्रो-उत्पादों की बिक्री

प्रतिभागी

उपयोगकर्ता : कच्चे तेल की घरेलू शोधन कंपनियाँ।

सुविधाप्रदाता : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उद्देश्य : कच्चे तेल की घरेलू खरीद और पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू बिक्री पर कमोडिटी कीमत जोखिम को हेज करना, जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ा हुआ है।

उत्पाद : अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों में मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल अनुमति देती है तो विदेशों में ओटीसी संविदाओं का उपयोग कर सकता है।

परिचालन दिशानिर्देश :

ए) सख्तत: अंतर्निहित संविदाओं के आधार पर हेजिंग की अनुमति दी जाएगी।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य अपने पास रखें।

सी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

डी) इन्वेंटरी प्रतिभागियों पर कीमत जोखिम की हेजिंग

उपयोगकर्ता : घरेलू तेल विपणन और शोधन कंपनियां।

सुविधाप्रदाता : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उद्देश्य : इन्वेंटरी पर कमोडिटी कीमत जोखिम को हेज करना।

उत्पाद : ओवर-द-काउंटर (OTC) / एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ओवरसीज जिसकी अवधि अधिकतम एक वर्ष वायदा तक सीमित है।

परिचालन दिशा-निर्देशः

ए) हैज की अनुमति, पिछली तिमाही को आगे बढ़ाते हुए, तिमाही में वॉल्यूम पर आधारित उनकी इन्वेंटरी के 50 प्रतिशत की सीमा तक है।

बी) अनुबंध XI (ए और बी) के अनुसार अन्य सभी शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

II) स्वीकृत मार्गः

सहभागी

प्रयोक्ताः वे भारतीय निवासी जो कमोडिटी में प्रणालीगत अंतर्राष्ट्रीय कीमत जोखिम के घेरे में हैं।

समन्वयकः एडी श्रेणी I बैंक

उद्देश्यः कमोडिटी में प्रणालीगत अंतर्राष्ट्रीय कीमत जोखिम को हैज करना।

उत्पादः अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों में स्टैण्डर्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और विकल्प (केवल क्रय)। यदि जोखिम प्रोफाइल गारंटी दे तो – समुद्रपारीय ओटीसी संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

परिचालन दिशा-निर्देशः

उन कंपनियों/फर्मों के आवेदनों को, जिन्हें एडी श्रेणी I के प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा कवर नहीं किया गया है, संबंधित एडी श्रेणी I बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से, परवर्ती की विशिष्ट सिफारिश के साथ रिज़र्व बैंक को विचारार्थ भेजा जा सकता है। आवेदन का ब्यौरा अनुबंध XII में दिया गया है।

III) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसई जेड) में संस्थाएं

सहभागी

प्रयोक्ताः विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसई जेड) में संस्थाएं

समन्वयकः एडी श्रेणी I बैंक

उद्देश्यः आयातित/निर्यातित कमोडिटी के कीमत जोखिम को हैज करना।

उत्पादः अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों में स्टैण्डर्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और विकल्प (केवल क्रय)। यदि जोखिम प्रोफाइल गारंटी दे तो – समुद्रपारीय ओटीसी संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

परिचालन दिशा-निर्देश:

एडी बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसई जेड) में संस्थाओं को, समुद्रपारीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में निर्यात/आयात पर उनकी कमोडिटी कीमतों को हैज करने के लिए हैजिंग लेन-देन करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते ऐसी संविदा स्टैंड अलोन आधार पर की जाए। ('स्टैंडअलोन' शब्द का अर्थ है एसईजेड में इकाई मूल भूमि या एसईजेड में अपने मूल या सहायक के साथ वित्तीय संपर्कों से पूरी तरह से अलग है, जहां तक इसके आयात/निर्यात लेन-देन का संबंध है।)

नोटः प्रत्यायोजित मार्ग/स्वीकृत मार्ग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश क्रमशः अनुबंध XI और XII में दिए गए हैं।

8. मालभाड़ा हैजिंग

मालभाड़ा जोखिम के घेरे में आने वाली स्वदेशी तेल शोधन कंपनियां और शिपिंग कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत एडी श्रेणी I बैंक से अपने मालभाड़ा जोखिम को हैज करने की अनुमति दी जाती है। मालभाड़ा जोखिम के संपर्क में आने वाली अन्य कंपनियां अपने एडी श्रेणी I बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त कर सकती हैं।

यह नोट किया जाए कि अंतर्निहित एक्सपोजर के सत्यापन के अधीन, यहां प्राधिकृत डीलर बैंकों की भूमिका मुख्य रूप से समय-समय पर मार्जिन आवश्यकताओं के प्रति विदेशी मुद्रा राशि के विप्रेषण के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य डेरिवेटिव उत्पाद के संयोजन में नहीं किया जाना चाहिए। यह सुविधा निम्न श्रेणियों में विभाजित की गई हैः

I) प्रत्यायोजित मार्ग

सहभागीः

प्रयोक्ताः स्वेदशी तेल शोधन कंपनियां और शिपिंग कंपनियां

समन्वयकः एडी श्रेणी I बैंक, विशेष रूप से रिज़र्व बैंक से प्राधिकृत अर्थात वे जिन्हें इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन, अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज/बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम को हैज करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों को अनुमति प्रदान का अधिकार सौंपा गया है।

उद्देश्यः मालभाड़ा जोखिम को हैज करना।

उत्पादः प्लेन वैनिला ओवर दि काउंटर (ओटीसी) अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार/एक्सचेंज में एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद

परिचालन दिशा-निर्देश:

i. अनुमत अधिकतम अवधि एक वर्ष फॉरवर्ड होगी।

ii. उन एक्सचेंजो को जिनमें उत्पादों का क्रय किया जाता है, होस्ट देश में विनियमित संस्था होना चाहिए।

iii. एडी श्रेणी I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने मालभाड़ा एक्सपोज़र की हैजिंग करने वाली संस्थाओं के पास बोर्ड संकल्प हो जो यह प्रमाणित करती हो कि बोर्ड से स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियां, समग्र ढांचे, जिसमें डेरिवेटिव लेन-देन किए जाने चाहिए, को और उसमें निहित जोखिमों को परिभाषित करती हैं।

एडी श्रेणी I बैंकों को इस सुविधा को यह सुनिश्चित करने के बाद ही अनुमोदित करना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड की स्वीकृति इस विशिष्ट गतिविधि के लिए और समुद्रपारीय एक्सचेंजों/बाजारों में डील करने के लिए भी प्राप्त की गई है। बोर्ड अनुमोदन में, लेन-देन करने के लिए अधिकृत प्राधिकरणों, मार्क-टू-मार्केट नीति, ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए अनुमत प्रतिपक्षों आदि को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए और किए गए लेन-देनों की एक सूची छमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

iv. एडी श्रेणी I बैंक को, लेन-देन की अनुमति देते समय और उसमें किए परिवर्तन के समय उपर्युक्त विवरण को समाविष्ट करने वाली बोर्ड संकल्प की एक प्रति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए जो यह प्रमाणित करती हो कि कॉर्पोरेट के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है।

v. उपयोगकर्ताओं के लिए अंतर्निहित एक्सपोजर का विवरण नीचे (ए) और (बी) के अंतर्गत दिया गया हैः

(ए) स्वदेशी तेल शोधन कंपनियों के लिएः

i. माल-भाड़ा हैजिंग अंतर्निहित संविदाओं अर्थात कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात आदेशों के आधार पर होगी।

ii. इसके अतिरिक्त, स्वदेशी तेल शोधन कंपनियाँ, पिछले वर्ष के दौरान कच्चे तेल के वास्तविक आयात के वॉल्यूम के 50 प्रतिशत तक या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयात के औसत वॉल्यूम के 50 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, अपने पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के प्रत्याशित आयातों पर अपने मालभाड़े जोखिम को हैज कर सकती हैं।

iii. पिछली कार्य निष्पादन सुविधा के अंतर्गत बुक की गई संविदाओं को हैज की अवधि के दौरान मुख्य दस्तावेजों की प्रस्तुति द्वारा नियमित करना होगा। कंपनी से इस आशय का एक वचनपत्र प्राप्त किया जाएगा।

(बी) शिपिंग कंपनियों के लिएः

i. हैजिंग, शिपिंग कंपनी के स्वामित्व/नियंत्रित जहाजों, जिनके पास कोई प्रतिबद्ध नियोजन नहीं है, के आधार पर होगी। हैज की मात्रा इन जहाजों की संख्या और क्षमता से निर्धारित की जाएगी। इसे

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और एडी श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

ii. बुक की गई संविदाओं को हैज की अवधि के दौरान मुख्य दस्तावेजों अर्थात जहाज के नियोजन की प्रस्तुति द्वारा नियमित करना होगा। कंपनी से इस आशय का एक वचनपत्र प्राप्त किया जाएगा।

iii. एडी श्रेणी I बैंक यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिपिंग कंपनियों द्वारा किए जा रहे मालभाड़ा डेरिवेटिव उन शिपिंग कंपनियों के अंतर्निहित कारोबार को दर्शाते हैं।

II) स्वीकृति मार्ग

सहभागी

प्रयोक्ताः मालभाड़ा जोखिम के घेरे में आने वाली कंपनियां (स्वदेशी तेल शोधन कंपनियों और शिपिंग कंपनियों के अलावा)

समन्वयकः एडी श्रेणी I बैंक

उद्देश्यः मालभाड़े जोखिम को हैज करना।

उत्पादः प्लेन वैनिला ओवर दि काउंटर (ओटीसी) अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार/एक्सचेंज में एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद

परिचालन दिशा-निर्देश

ए) अनुमत अधिकतम अवधि एक वर्ष फॉरवर्ड होगी।

बी) उन एक्सचेंजो को जिनमें उत्पादों का क्रय किया जाता है, होस्ट देश में विनियमित संस्था होना चाहिए।

सी) उन कंपनियों/फर्मों के आवेदनों को, जिन्हें एडी श्रेणी I के प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा कवर नहीं किया गया है, उन्हें संबंधित एडी श्रेणी I बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से, परवर्ती की विशिष्ट सिफारिश के साथ, रिज़र्व बैंक को विचारार्थ भेजा जा सकता है।

अनुभाग II

भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

सहभागी

मार्केट-मेकर- एडी श्रेणी I बैंक

प्रयोक्ता- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने वाले निवेशक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), अनिवासी निर्यातक और आयातक, अनिवासी ऋणदाता जिनके पास आईएनआर में नामित ईसीबी हैं।

प्रत्येक प्रयोक्ता के उद्देश्य, उत्पाद और परिचालन दिशानिर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के लिए सुविधाएं**

उद्देश्य

i. किसी विशेष तिथि को भारत में इक्विटी और/या ऋण में संपूर्ण निवेश के बाजार मूल्य के मुद्रा जोखिम को हैज करने के लिए।
ii. अगले बारह महीनों के दौरान देय ऋण प्रतिभूतियों में निवेश से उत्पन्न होने वाली कूपन रसीदों को हैज करने के लिए।
iii. एप्लीकेशन सपोर्टिड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) मैकेनिज्म के तहत आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) संबंधी क्षणिक पूंजी प्रवाह को हैज करने के लिए।

उत्पाद

मुद्राओं में से एक के रूप में रुपये के साथ और विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्पों के साथ फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाएं। आईपीओ संबंधी प्रवाह के लिए विदेशी मुद्रा- आईएनआर स्वैप।

परिचालन दिशा-निर्देश, निबंधन व शर्तें

ए) एफपीआई किसी विशेष तारीख को भारत में इक्विटी और/या ऋण में संपूर्ण निवेश के बाजार मूल्य पर अपने मुद्रा जोखिम की हैजिंग के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी एडी श्रेणी I बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

i. कवर के लिए पात्रता नामित एडी श्रेणी बैंक द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन प्रमाण पत्र के आधार पर और एफपीआई द्वारा इस आशय की घोषणा के साथ कि इसकी वैश्विक बकाया हैजों और सभी एडी श्रेणी बैंकों में रद्द की गई डेरिवेटिव संविदाएं इसके निवेशों के बाजार मूल्य के भीतर हैं, निर्धारित की जा सकती है।
ii. एफपीआई को संरक्षक बैंक को एक त्रैमासिक घोषणा भी प्रदान करनी चाहिए कि एडी श्रेणी बैंकों में बुक किए गए डेरिवेटिव संविदा की कुल राशि उनके निवेश के बाजार मूल्य के भीतर है।
iii. नामित एडी बैंकों के अतिरिक्त एडी बैंकों के साथ किए गए हैजों को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नामित बैंक के साथ बनाए गए विशेष अनिवासी रुपये खाते के माध्यम से निपटाना होगा।

iv. यदि कोई एफपीआई अपने पास धारित प्रतिभूतियों के उस भाग से संबंधित जोखिम के लिए एक हैज संविदा करना चाहता है जिसके विरूद्ध उसने कोई पीएन/ओडीआई जारी किया है, तो उसके पास इस उद्देश्य के लिए पीएन/ओडीआई धारक से एक जनादेश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जबकि एडी श्रेणी बैंक से ऐसे जनादेशों को सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे मामलों में जहां यह कठिन हो जाता है, वे पीएन/ओडीआई की प्रकृति/संरचना के संबंध में एफपीआई से हैज परिचालन की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए और यह कि इस तरह के परिचालन उनके ग्राहकों से प्राप्त विशिष्ट जनादेश के विरूद्ध किए जा रहे हैं, एक घोषणा प्राप्त कर सकते हैं।

बी) एडी श्रेणी I बैंक कम से कम त्रैमासिक अंतराल पर बाजार मूल्य उतार-चढ़ाव, नए अंतर्वाह, प्रत्यावर्तित राशि और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर आवधिक समीक्षा कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बकाया वायदा कवर अंतर्निहित जोखिमों द्वारा समर्थित है। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई एफपीआई अपने किसी उप-खाता धारक के एक्सपोजर को हैज करना चाहता है, (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में अनुसूची 2 का पैराग्राफ 4) तो उसे डेरिवेटिव लेन-देन करने के लिए परवर्ती इरादे के विषय में उप-खाता धारक से स्पष्ट जनादेश प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, एडी श्रेणी I बैंकों को संबंधित उप-खाते में धारित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की तुलना में जनादेश और संविदा की पात्रता को सत्यापित करना होगा।

सी यदि प्रतिभूतियों की बिक्री के अलावा अन्य कारणों से, पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य के संकुचन के कारण कोई हैज आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नग्न हो जाता है, तो हैज को मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, यदि ऐसा वांछित हो तो।

डी) एफपीआई द्वारा बुक की गई वायदा संविदाओं को, एक बार रद्द किए जाने के बाद, रद्द की गई संविदाओं के मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा तक फिर से बुक किया जा सकता है। बुक की गई वायदा संविदाओं को, हालांकि, परिपक्वता पर या उससे पहले रोल ओवर किया जा सकता है।

ई) कूपन रसीदों, जैसा कि ऊपर पैरा (1)(ii) में दर्शाया गया है, की हैजिंग के लिए बुक की गई वायदा संविदाएं, रद्द करने पर फिर से बुक किए जाने की पात्र नहीं होंगी। हालांकि, उन्हें परिपक्वता पर रोल ओवर किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित कूपन राशि अभी तक प्राप्त न हुई हो।

एफ) हैज की लागत सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रत्यावर्तनीय निधियों और/या आवक विप्रेषण से पूरी की जानी चाहिए।

जी) हैज से जुड़े हुए सभी जावक विप्रेषण लागू करों के निवल हैं।

एच) आईपीओ संबंधित क्षणिक पूंजी प्रवाह के लिए

i. एफपीआई विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप केवल एएसबीए तंत्र के तहत आईपीओ से संबंधित प्रवाह की हैजिंग के लिए ले सकता है।
ii. स्वैप की राशि आईपीओ में निवेश के लिए प्रस्तावित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii. स्वैप की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. एक बार रद्द की गई संविदाओं को फिर से बुक नहीं किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत रोलओवर की अनुमति भी नहीं होगी।

i) एफपीआई और अन्य विदेशी निवेशक फेमा, 1999 या उसके तहत बनाए गए विनियमों/निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किसी भी लेन-देन के लिए अपनी पसंद के किसी भी बैंक के माध्यम से पूंजी भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार प्रेषित पूंजी को बैंकिंग चैनल के माध्यम से नामित एडी श्रेणी- I संरक्षक बैंक में अंतरित किया जा सकता है। हालांकि, नोट किया जाना चाहिए कि प्रेषक के संबंध में केवाईसी, जहां भी आवश्यक हो, उस बैंक की संयुक्त जिम्मेदारी है जिसने विप्रेषण प्राप्त किया है और साथ ही वह बैंक जो अंततः विप्रेषण की आय प्राप्त करता है। जबकि पहला बैंक प्रेषक के विवरण और विप्रेषण के उद्देश्य का जानकार होगा। दूसरे बैंक के पास प्राप्तकर्ता के परिप्रेक्ष्य से पूरी जानकारी का एक्सेस होगा। इसके अतिरिक्त, विप्रेषण प्राप्त करने वाले बैंक को आय प्राप्त करने वाले बैंक के प्रति एफआईआरसी जारी करने की आवश्यकता होती है ताकि यह तथ्य स्थापित किया जा सके कि पूंजी विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की गई थी।

2. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में भाग लेने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निबंधन और शर्तें। [भाग ए उप-पैराग्राफ (4) और (5) का संदर्भ लें]

समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या प्रतिभूति को जारी करना) विनियमावली, 2000 (फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 (जीएसआर 406 (ई) दिनांक 3 मई 2000)) की अनुसूची 2, 5, 7 और 8 में निर्धारित प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन करेंसी फ्यूचर्स या एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी विकल्प संविदाओं में प्रवेश कर सकते हैं:

ए) एफपीआई को भारतीय ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों के प्रति उनके जोखिम के बाजार मूल्य से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम की हैजिंग करने के उद्देश्य से करेंसी फ्यूचर्स या एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी विकल्पों में एक्सेस की अनुमति होगी।

बी) ऐसे निवेशक संबंधित एक्सचेंज के किसी भी पंजीकृत/मान्यता प्राप्त ट्रेडिंग सदस्य के माध्यम से करेंसी फ्यूचर्स/एक्सचेंज ट्रेडेड विकल्प बाजार में भाग ले सकते हैं।

सी) एफपीआई प्रति एक्सचेंज 15 मिलियन अमरीकी डालर तक यूएसडी-आईएनआर जोड़ी में लॉन्ग (खरीद) और साथ ही शार्ट (बिक्री) - दोनों पॉजिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें EUR-INR, GBP-INR और JPY-INR जोड़े, सभी को मिलाकर, प्रति एक्सचेंज 5 मिलियन अमरीकी डालर तक लॉन्ग और शार्ट पॉजिशन लेने की अनुमति होगी। निगरानी की सुविधा के लिए, एक्सचेंज यूएसडी के अलावा अन्य मुद्राओं में, इस प्रकार कि ये सीमाएं 5 मिलियन यूएसडी के बराबर हैं, संविदाओं के लिए निश्चित सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इन सीमाओं की निगरानी एक्सचेंजों द्वारा की जाएगी, और उल्लंघन, यदि कोई हो, तो वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाएगा।

डी) कोई एफपीआई किसी भी समय यूएसडी-आईएनआर जोड़ी में 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक और अन्य सभी मुद्रा जोड़े में 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की शॉर्ट पॉजिशन नहीं ले

सकता है। किसी भी एक्सचेंज में इन सीमाओं से अधिक लॉन्ग पॉजिशन लेने के लिए, अंतर्निहित एक्सपोजर होना आवश्यक होगा। अंतर्निहित जोखिम के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित एफपीआई का होगा।

ई) हालांकि, एक्सचेंज, जोखिम प्रबंधन और उचित व्यापार के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।

एफ) एक्सचेंज/समाशोधन निगम, संबंधित संरक्षक बैंकों को दिन के अंत में ओपन पॉजिशन के साथ-साथ इंट्रा-डे उच्चतम पॉजिशन संबंधी एफपीआई-वार सूचना प्रदान करेगा। संरक्षक बैंक एक्सचेंजों में प्रत्येक एफपीआई की पॉजिशन को और उनके साथ (अर्थात संरक्षक बैंक) तथा अन्य एडी बैंकों के साथ बुक की गई ओटीसी संविदाओं को एकत्र करेंगे। यदि संविदाओं का कुल मूल्य किसी भी दिन होल्डिंग्स के बाजार मूल्य से अधिक होता है, तो संबंधित एफपीआई इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। नामित संरक्षक बैंक को इसकी निगरानी करनी होगी और यदि कोई उल्लंघन हो तो उसे आरबीआई/सेबी के संज्ञान में लाना होगा।

3. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए सुविधाएं

उद्देश्य

ए) फेरा, 1973 के प्रावधानों के अनुरूप या उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत अथवा फेमा, 1999 के प्रावधानों के अनुरूप पोर्टफोलियो योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए।

बी) भारतीय कंपनियों में धारित शेयरों पर देय लाभांश की राशि में एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए।

सी) एफसीएनआर (बी) जमा में रखी राशियों पर एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए।

डी) एनआरई खाते में रखे गए शेष पर एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए।

उत्पाद

ए) मुद्राओं में से एक के रूप में रुपये के साथ फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदा, और विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प।

बी) सके अतिरिक्त, एफसीएनआर (बी) खातों में शेष के लिए - एक विदेशी मुद्रा से अन्य विदेशी मुद्राओं में शेष को परिवर्तित करने के लिए क्रॉस करेंसी (जिसमें रुपया शामिल नहीं है) वायदा संविदा जिसमें एफसीएनआर (बी) जमा को बनाए रखने की अनुमति है।

4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हैजिंग के लिए सुविधाएं

उद्देश्य

i. भारत में जोखिम के सत्यापन के अधीन, 1 जनवरी, 1993 से भारत में किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए।

ii. भारतीय कंपनियों में निवेश पर प्राप्य लाभांश संबंधी एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए।

iii. भारत में प्रस्तावित निवेश पर एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए।

उत्पाद

मुद्राओं में से एक के रूप में रुपये के साथ और विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प के साथ फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदा।

परिचालन दिशा-निर्देश, निबंधन व शर्तें

ए) भारत में किए गए निवेशों के बाजार मूल्य पर एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने के लिए संविदाओं के संबंध में, एक बार रद्द की गई संविदाएं फिर से बुक किए जाने की पात्र नहीं हैं। हालाँकि, इन संविदाओं को रोल ओवर किया जा सकता है।

बी) प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

i. भारतीय कंपनियों में प्रस्तावित निवेश से उत्पन्न एक्सचेंज दर जोखिम को हैज करने की संविदाओं को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद बुक करने की अनुमति दी जाएगी कि समुद्रपारीय संस्थाओं ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और निवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन (जहां भी लागू हो) प्राप्त कर लिया है।

ii. संविदाओं की अवधि एक बार में छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद संविदा को जारी रखने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होगी।

iii. ये संविदाएं, रद्द किए जाने पर, उसी अंतर्वाह के लिए पुनः बुक किए जाने की पात्र नहीं होंगी।

iv. एक्सचेंज लाभ, यदि कोई हो, निरस्तीकरण पर विदेशी निवेशक को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

5. भारत में भारतीय रुपये में इन्वॉयस किए गए, व्यापार जोखिमों की हैजिंग के लिए सुविधाएं

उद्देश्य

भारत में एडी श्रेणी I बैंकों के साथ, भारतीय रुपए में इन्वॉयस किए गए, भारत से निर्यात और भारत को आयात से जुड़े वास्तविक व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम को हैज करने के लिए।

उत्पाद

मुद्राओं में से एक के रूप में रुपये के साथ और विदेशी मुद्रा-आईएनआर विकल्प के साथ फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदा।

परिचालन दिशा-निर्देश, निबंधन व शर्तें

एडी श्रेणी I बैंक नीचे दिए अनुसार मॉडल I या मॉडल II का विकल्प चुन सकते हैं:

मॉडल I

अपने समुद्रपारीय बैंक (भारत में एडी बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं सहित) के माध्यम से व्यवहार करने वाले अनिवासी निर्यातक/आयातक

- अनिवासी निर्यातक/आयातक, रुपये में इन्वॉयस किए गए पुष्ट आयात या निर्यात आदेश से उत्पन्न होने वाले अपने रुपये जोखिम की हैजिंग के अनुरोध सहित, उचित दस्तावेजों के साथ अपने समुद्रपारीय बैंकर से संपर्क करते हैं।
- बदले में समुद्रपारीय बैंक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के साथ अपने ग्राहक के एक्सपोजर को हैज करने की कीमत के लिए भारत में अपने संपर्ककर्ता (अर्थात भारत में एडी बैंक) से संपर्क करता है, जो भारत में एडी बैंक को स्वयं को संतुष्ट करने में सक्षम करेगा कि अंतर्निहित व्यापार लेन-देन है (स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार्य होंगी)। ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लेने की आवश्यकता होगीः
- यह कि भारत में किसी अन्य एडी श्रेणी I बैंक/बैंकों के साथ उसी अंतर्निहित जोखिम की हैजिंग नहीं की गई है।
- यदि अंतर्निहित जोखिम रद्द कर दिया जाता है, तो ग्राहक हैज संविदा को तुरंत रद्द कर देगा।
- भारत में एडी बैंक द्वारा समुद्रपारीय बैंक से अंतिम ग्राहक केवाईसी संबंधी एक प्रमाणीकरण भी एक बार मांगे गए दस्तावेज़ के रूप में लिया जाएगा।
- समुद्रपारीय संपर्ककर्ता से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर भारत में एडी बैंक को अंतर्निहित व्यापार लेन-देन के अस्तित्व के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए और समुद्रपारीय बैंक को वायदा कीमत (कोई दो-तरफ़ा कोट नहीं दिया जाना चाहिए) प्रस्तुत करनी चाहिए, जो बदले में इसे अपने ग्राहक को प्रस्तुत करेगा। अतः, एडी बैंक सीधे समुद्रपारीय आयातक/निर्यातक के साथ डील 'नहीं' करेगा।
- हैज की राशि और अवधि अंतर्निहित लेन-देन से अधिक नहीं होनी चाहिए और भुगतान की अवधि/ आय की वसूली के संबंध में मौजूदा नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
- देय तिथि पर, निपटान, संपर्ककर्ता बैंक के वोस्ट्रो या एडी बैंक के नोस्ट्रो खातों के माध्यम से किया जाना होगा।
- एक बार रद्द की गई संविदाओं को फिर से बुक नहीं किया जा सकता है।
- तथापि, संविदाओं को, अंतर्निहित जोखिम की परिपक्वता के अधीन, परिपक्वता पर या उससे पहले रोलओवर किया जा सकता है।
- संविदाएं रद्द किए जाने पर ग्राहक को लाभ इस शर्त के अधीन दिया जाए कि ग्राहक ने इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत किया है कि वह संविदा फिर से बुक नहीं कर रहा है अथवा यह कि संविदा अंतर्निहित एक्सपोजर के रद्द होने के कारण रद्द की गयी है ।
- यदि अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को बढ़ाया जाता है, तो अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के विस्तार के आधार पर एक बार रोलओवर की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए समुद्रपारीय बैंक द्वारा उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने हैं और मूल संविदा के मामले में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है ।

मॉडल II

भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक से सीधे लेनदेन का व्यवहार करने वाले अनिवासी निर्यातक / आयातक

- समुद्रपारीय निर्यातक /आयातक भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक को अंतिर्निहित ट्रेड लेनदेनों की सौदा पूर्व की स्थिति की पुष्टि से संतुष्ट करने के लिए उचित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर (साइन की हुई प्रतियाँ स्वीकार्य) अपने समुद्रपारीय बैंक के ब्योरे तथा पते, आदि देकर अंतिर्निहित जोखिमों हेतु

वायदा कवर के लिए संपर्क करता है । इस संबंध में ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी अवश्य लिए जाएं : -

- कि उसी अंतर्निहित एक्सपोजर को भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक / कों द्वारा हेज नहीं किया गया है ।
- यदि अंतर्निहित एक्सपोजर रद्द किया जाएगा, तो ग्राहक हेज संविदा को तत्काल रद्द कर देगा ।

- प्राधिकृत व्यापारी बैंक संलग्नक XVIII में दिए गए फॉर्मेट में केवाईसी / एएमएल के प्रमाणन को प्राप्त कर सकता है । समुद्रपारीय प्रतिनिधि / बैंक के मार्फत स्विफ्ट प्रमाणन संदेश के तहत फॉर्मेट प्राप्त किया जा सकता है । यदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक की उपस्थिति देश के बाहर भी हो तो वह अपनी ऑफशोर शाखा के मार्फत केवाईसी / एएमएल के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकता है ।
- प्राधिकृत व्यापारी बैंक जोखिमों को कम करने के लिए उचित प्रबंध / व्यवस्था विकसित करें । स्वयं / समुद्रपारीय शाखा द्वारा किए गए क्रेडिट विश्लेषण के आधार पर क्रेडिट सीमा मंजूर की जा सकती है ।
- हेज़ की राशि एवं अवधि अंतर्निहित लेनदेन-व्यवहार से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह ऐसे आगम (प्रोसीड्स) के भुगतान / की वसूली की अवधि से संबंधित मौजूदा विनियमों के अनुरूप होगी ।
- देय तारीख को भुगतान / निपटान प्रतिनिधि बैंक के वोस्ट्रो या प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नोस्ट्रो खातों से होना चाहिए । भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक नोस्ट्रो / वोस्ट्रो खातों में निधियों को देखने के उपरांत ही लाभार्थी को निधियों का भुगतान करेगा ।
- एक बार संविदा रद्द होने पर फिर से बुक नहीं की जा सकेगी ।
- तथापि, संविदाओं को अंतर्निहित एक्सपोजर की शर्त के अधीन परिपक्वता पर या उससे पूर्व रोलओवर किया जा सकता है ।
- संविदाएं रद्द किए जाने पर ग्राहक को लाभ इस शर्त के अधीन दिया जाए कि ग्राहक ने इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत किया है कि वह संविदा फिर से बुक नहीं कर रहा है अथवा यह कि संविदा अंतर्निहित एक्सपोजर के रद्द होने के कारण रद्द की गयी है ।
- यदि अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को बढ़ाया जाता है, तो अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के विस्तार के आधार पर एक बार रोलओवर की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए समुद्रपारीय बैंक द्वारा उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने हैं और मूल संविदा के मामले में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है ।

6. भारत में भारतीय रुपए में नामित (मूल्यवर्गीकृत) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की हेजिंग के लिए सुविधाएं

I. **प्रयोजन:** भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के साथ या फिर बैक टू बैक आधार पर अपने विदेशी/समुद्रपारीय बैंकों के माध्यम से भारतीय रुपए में निर्दिष्ट ईसीबी से उत्पन्न करेंसी जोखिम को परिचालन दिशानिर्देशों के तहत नीचे (II) दिए गए नियमों और शर्तों से हेज करना ।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है, विदेशी मुद्रा-आईएनआर ऑप्शन तथा विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप ।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

- विदेशी इक्विटी धारक / समुद्रपारीय संगठन अथवा व्यक्ति अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में वायदा कवर के लिए अनुरोध के साथ भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक से संपर्क करता है जिसके लिए वह सौदा-पूर्व आधार पर उचित प्रलेखन (स्कैन की गई प्रतिलिपियां स्वीकार्य होगी) प्रस्तुत करना चाहता है जिससे भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक लेनदेन होने तथा उसके समुद्रपारीय बैंकर, पता, आदि के बारे में संतुष्ट हो सके । इस संबंध में ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी लिये जाने आवश्यक हैं –

    - कि वही अंतर्निहित एक्सपोजर भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक / कों के पास हेज नहीं किया गया है ।
    - यदि अंतर्निहित एक्सपोजर रद्द किया जाता है तो, ग्राहक हेज संविदा तुरंत रद्द कर देगा।
- हेज़ की राशि एवं अवधि उस अंतर्निहित लेनदेन-व्यवहार से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह आगम राशि के भुगतान / की वसूली की अवधि से संबंधित मौजूदा विनियमों के अनुसार होगी ।
- संविदाएं रद्द किए जाने पर ग्राहक को लाभ इस शर्त के अधीन दिया जाए कि ग्राहक ने इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत किया है कि वह संविदा फिर से बुक नहीं कर रहा है अथवा यह कि संविदा अंतर्निहित एक्सपोजर के रद्द होने के कारण रद्द की गयी है ।

II) प्रयोजन: बैक टू बैक आधार पर भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के साथ मान्यता प्राप्त अनिवासी उधारदाताओं[4] द्वारा आईएनआर में नामित ईसीबी से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम को हेज करना ।

उत्पाद: विदेशी मुद्रा – आईएनआर स्वैप

परिचालन दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

(i) मान्यता प्राप्त अनिवासी ऋणदाता भारतीय उधारकर्ता को आगे उधार देने के लिए आईएनआर जुटाने के लिए स्वैप दर के अनुरोध के साथ आईएनआर में अंतर्निहित ईसीबी के साक्ष्य के रूप में उचित दस्तावेज के साथ अपने समुद्रपारीय बैंक से संपर्क करता है ।

(ii) इसके बदले, समुद्रपारीय बैंक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ स्वैप दर के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करता है, जिससे भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं को संतुष्ट कर सके कि आईएनआर (स्कैन की हुई प्रतियां स्वीकार्य) में एक अंतर्निहित ईसीबी है । इस संबंध में ग्राहक से निम्नलिखित वचनपत्र भी अवश्य लिए जाएं

- यह कि भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/बैंकों के साथ उसी अंतर्निहित एक्सपोजर की हेजिंग नहीं की गई है ।

[4] 3 सितंबर 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 25 और 21 मई 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 103 के संदर्भ में

- यदि अंतर्निहित एक्सपोजर रद्द किया जाता है, तो ग्राहक हेज अनुबंध को तुरंत रद्द कर देगा।

(iii) भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा समुद्रपारीय बैंक से उसके अंतिम ग्राहक के बारे में एक केवाईसी प्रमाणन लिया जाएगा।

(iv) विदेशी बैंक से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, भारत के एडी बैंक को आईएनआर में अंतर्निहित ईसीबी के अस्तित्व के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए और विदेशी बैंक को एक सांकेतिक स्वैप दर प्रदान करनी चाहिए। भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को अपने प्रतिनिधि समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त दस्तावेज़ों के आधार पर आईएनआर में अंतर्निहित ईसीबी के अस्तित्व के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए और विदेशी बैंक को एक सांकेतिक स्वैप दर प्रदान करनी चाहिए जिसे बदले में अनिवासी ऋणदाता को बैक टू बैक आधार पर प्रदान की जाएगी।

(v) स्वैप की निरंतरता हर समय अंतर्निहित ईसीबी की स्थिति के अधीन होगी।

(vi) देय तारीख को भुगतान भारत में इसके प्रतिनिधि बैंक के साथ रखे गए समुद्रापारीय बैंक के वोस्ट्रो खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(vii) संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए सभी संबंधित दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड में रखेगा।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

एफपीआई के लिए उल्लिखित परिचालन दिशानिर्देश रद्द किए गए संविदाओं की फिर से बुकिंग से संबंधित प्रावधान के अपवाद स्वरूप लागू होंगे। एफपीआई के सिवाय भारत के बाहर के निवासी के लिए अनुमत सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं एक बार रद्द किए जाने के बाद फिर से बुक किए जाने के योग्य नहीं हैं।

खंड III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के लिए सुविधाएं

1. **बैंक की आस्ति – देयताओं का प्रबंध**

उपयोगकर्ता – प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन – विदेशी मुद्रा आस्ति – देयता पोर्टफोलियो की ब्याज़ दर और मुद्रा जोखिम की हेजिंग

उत्पाद – ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर कैप / कॉलर, करेंसी स्वैप, वायदा दर करार। प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने विदेशी मुद्रा के स्वामित्व की व्यापारिक स्थिति की हेजिंग के लिए क्रय अथवा विक्रय विकल्प की खरीद का उपयोग कर सकते हैं।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) इस संबंध में उपयुक्त नीति उनके शीर्ष प्रबंध द्वारा अनुमोदित हो।

(बी) हेज का मूल्य और उसकी परिपक्वता निहित प्रतिभूतियों से अधिक न हो।

(सी) कोई 'एकल आधार' पर लेनदेन शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि हेज आंशिक या पूर्ण रूप से पोर्टफोलियो के संकुचन के कारण असुरक्षित (naked) हो जाती है, तो हेज मूल परिपक्वता तक

जारी रखने की अनुमति दी जाए और नियमित अंतराल पर बाज़ार के अनुसार मूल्यांकित की जाए ।

(डी) इन लेनदेनों से होने वाली निवल नकद आय, आय /व्यय के रूप में बुक की जाती है तथा जहां कहीं लागू हो विदेशी मुद्रा स्थिति के रूप में परिगणित की जाती है ।

2. स्वर्ण कीमतों की हेजिंग

उपयोगकर्ता –

i. स्वर्ण जमा योजना के परिचालन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक
ii. बैंक, जिन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त पर भारत में वायदा स्वर्ण संविदाएं करने के लिए अनुमति दी गयी है (अंतर बैंक स्वर्ण सौदों से उत्पन्न स्थिति सहित)

प्रयोजन – स्वर्ण की कीमत-जोखिम को हेज करना
उत्पाद – विदेश में उपलब्ध एक्सचेंज़–ट्रेडेड और ओवर द काउंटर हेजिंग उत्पाद ।

परिचालन दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

ए) विकल्प वाले उत्पाद उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से प्रीमियम की निवल प्राप्ति नहीं हो रही है ।
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकृत बैंकों को स्वर्ण में निहित बिक्री, खरीद और ऋण के लेनदेन के लिए अपने ग्राहकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, स्वर्णाभूषण निर्माताओं, व्यापार गृहों, आदि) के साथ वायदा संविदा करने के लिए अनुमति है । इस प्रकार की संविदाओं की मियाद छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. पूंजी की हेजिंग

उपयोगकर्ता – भारत में परिचालित विदेशी बैंक
उत्पाद – वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

ए) टियर-I पूंजी –

(i) भारत में स्थानीय विनियामक और सीआरआर की अपेक्षाओं के लिए पूंजीगत निधियाँ उपलब्ध होनी चाहिए और इसलिए पूंजीगत निधियां नोस्ट्रो खाते में पार्क नहीं करनी चाहिए । हेजिंग से उपचित होने वाली विदेशी मुद्रा निधिया नोस्ट्रो खाते में जमा नहीं की जानी चाहिए बल्कि भारत में बैंकों के पास उसकी हर समय अदला-बदली (स्वैप) होते रहनी चाहिए ।

ii) वायदा संविदाएँ एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर उन्हें आगे बढ़ाया (रोल-ओवर) जा सकता है। रद्द किए गए हेज की पुनः बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

बी) टियर-II पूंजी –

- बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दिनांक 14 फरवरी 2002 के परिपत्र संख्या आईबीएस.बीसी. 65/23.10.015/2001-02 के अनुसार विदेशी बैंकों को अपनी टियर-II पूंजी को गौण ऋण के रूप में प्रधान कार्यालय उधार के रूप हर समय भारतीय रुपए में अदला-बदली (स्वैप) करके हेज़ करने की अनुमति है।
- बैंकों को फ्लोटिंग रेट विदेशी मुद्रा देयताओं में इनोवेटिव टियर-I / टियर-II बॉन्डों के संबंध में नियत दर रुपया देयता कनवर्ज़न वाले विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वैप लेनदेन करने की अनुमति नहीं है।

4. भारत में करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में सहभागिता

कृपया भाग-ए, खंड-I, पैरा 4 देखें जिसके अनुक्रम में :

(ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दिनांक 6 अगस्त 2008 के परिपत्र डीबीओडी.संख्या.एफ़एसडी.बीसी.29/24.01.001/2008-09 नियंत्रित होंगे।

(बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में स्वयं अथवा अपने ग्राहकों की ओर से निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने पर क्रय-विक्रय (ट्रेडिंग) और समाशोधन हेतु सदस्य बन सकते हैं:

(i) 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत।
(ii) दस प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर।
(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियां 3% से अधिक न हों।
(iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो।

विवेकपूर्ण मानदंड पूरे करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मुद्रा फ्यूचर्स संविदाओं के क्रय-विक्रय तथा समाशोधन और जोखिम प्रबंधन हेतु अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें।

सी) उल्लिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरे न करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-बैंक जो कि शहरी सहकारी बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन एवं शर्तों के तहत मुद्रा फ्यूचर्स बाज़ार में केवल ग्राहक (क्लायंट) के रूप में भाग ले सकते हैं।

डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल (एजी) सीमाओं जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा में रहकर अपना कारोबार करेंगे। अपने निजि खाते पर बैंकों के

निवेश करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं का हिस्सा बनेंगे।

ई) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अपनी नेट ओपन पोज़िशन लिमिट (NOPL) एवं एक्स्चेंज द्वारा जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन एवं बाज़ार की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए विनिर्दिष्ट सीमा में ईटीसीडी मार्केट में मालिकाना ट्रेडिंग कर सकते हैं।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट की पोज़िशन के बदले ईटीसीडी मार्केट में पोज़िशन को संतुलित/समायोजित (नेट/आफ़ सेट) भी कर सकता है। विदेशी मुद्रा बाज़ार में होने वाले उतार-चढाव को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक अपेक्षित होने पर विशेष रूप से ओटीसी मार्केट के लिए NOPL (प्रतिशत के रूप में) अलग से एक उप-सीमा का निर्धारण कर सकता है।

5. भारत में एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट में सहभागिता

कृपया भाग-ए, खंड-1, पैरा 5 देखें जिसके अनुक्रम में:

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन स्वयं के लिए और अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार के एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करने तथा क्लियरिंग करने के लिए सदस्य बनने की अनुमति है :

(i) 500 करोड़ रूपये की न्यूनतम निवल मालियत।
(ii) दस प्रतिशत की न्यूनतम सीआरएआर।
(iii) निवल अनर्जक प्रतिसंपत्तियां 3% से अधिक न हों।
(iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो विवेकपूर्ण मानदंड पूरे करते हैं वे अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस संविदाओं की ट्रेडिंग तथा क्लियरिंग और जोखिम प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें।

बी) उल्लिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरे न करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो शहरी सहकारी बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन एवं शर्तों के तहत करेंसी ऑप्शन्स बाज़ार में केवल ग्राहक (क्लायंट) के रूप में भाग ले सकते हैं।

सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल (एजी) सीमाओं जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा में रहकर अपना कारोबार करेंगे। एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस में बैंक की ऑप्शंस पोज़िशन स्वंय के लिए किए गए लेनदेनों संबंधी जोखिम उसकी निवल ओपन स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं का एक हिस्सा होंगे।

भाग बी

अनिवासी बैंकों के खाते

1. **सामान्य**

   (i) किसी अनिवासी बैंक के खाते में क्रेडिट देना अनिवासियों को भुगतान करने का अनुमत तरीका है और इसी कारण, यह विदेशी मुद्रा के अंतरण के लिए लागू विनियमों के अधीन है।

   (ii) किसी अनिवासी बैंक के खाते को डेबिट करना वास्तव में किसी विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण करना है।

2. **अनिवासी बैंकों के रूपया खाते**

   प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व संदर्भित किए बिना, अपनी विदेश स्थित शाखा अथवा संपर्क शाखा के नाम में रुपया खाता (बिना ब्याज वाले) खोल/ बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर कार्यरत पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम में रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता है।

3. **अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन**

   (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारत में अपनी सुसंगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधि रखने हेतु अपने विदेश संपर्कों/ शाखाओं से प्रचलित बाज़ार दर पर विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद कर सकते हैं।

   (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी बैंक, रुपये के संबंध में कोई दुविधापूर्ण नज़रिया नहीं रखते हैं, खाते में होने वाली लेनदेनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इस प्रकार की किसी भी घटना को भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में लाया जाए।

   टिप्पणी: निधीयन के लिए रुपये के बदले विदेशी मुद्रा की वायदा खरीद अथवा बिक्री निषिद्ध है। अनिवासी बैंकों के रुपये में द्विमार्गी भावों के प्रस्ताव करना भी निषिद्ध है।

4. **अन्य खातों से अंतरण**

   उसी बैंक अथवा भिन्न बैंकों के खातों से निधियों के मुक्त रूप से परस्पर अंतरण की अनुमति है।

5. **विदेशी मुद्राओं में रुपये का परिवर्तन**

   अनिवासी बैंकों के रुपये खाते में रखी शेष राशि विदेशी मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तित की जा सकती है। इस प्रकार के सभी लेनदेन फार्म ए-2 में दर्ज किए जाएं और संगत विवरणियों के तहत खाते में तदनुरूपी नामे (डेबिट) फार्म ए-3 में दर्ज किए जाएं।

6. भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता बैंकों की ज़िम्मेदारियां

खाते में क्रेडिट देने से संबंधित मामलों में भुगतान करने वाले बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है और उन्हें यथास्थिति, फार्म ए1/ ए2 में ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

7. रुपया विप्रेषणों की वापसी

इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि धन वापसी क्षतिपूर्ति रूप के लेनदेनों की रक्षा के लिए नहीं की जा रही है, आवक विप्रेषणों को रद्द करने अथवा उनकी वापसी के अनुरोध को रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना अनुपालित किया जाए।

8. विदेश स्थित शाखाओं/संपर्क कार्यालयों को ओवरड्राफ़्ट/ ऋण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, अपनी विदेश स्थित शाखाओं/संपर्क कार्यालयों को कारोबारी सामन्य जरूरतें पूरी करने के लिए अधिकतम कुल 500 लाख रूपये तक के अस्थायी ओवरड्राअल की अनुमति दे सकते हैं। यह सीमा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक की सभी शाखाओं की बहियों में सभी विदेशी शाखाओं और संपर्क कार्यालयों पर बकाया राशि पर आधारित होती है। इस सुविधा का उपयोग खातों के निधीयन को स्थगित करने के लिये न किया जाए। यदि उक्त सीमा से अधिक के ओवरड्राफ़्ट का पांच दिन के भीतर समायोजन नहीं किया जाता है तो उसका कारण दर्शाते हुए उसकी रिपोर्ट महीने की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई-400001 को दी जाए। यदि व्यवस्था वैल्यू डेटिंग (value dating) के लिए है तो इस तरह की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है।

(ii) विदेशी बैंकों को उक्त (i) में उल्लिखित से अधिक कोई अन्य ऋण सुविधा देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई-400001 की पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

9. विनिमय गृहों के रुपये खाते

भारत में निजी प्रेषणों को सुविधा प्रदान करने के लिए विनिमय गृहों के नाम से रूपये खाते खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है। व्यापार लेनदेन के वित्त पोषण के लिए विनिमय गृहों के माध्यम से प्रेषण प्रति लेनदेन[5]15,00,000 रूपये तक करने की अनुमति है।

[5] ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 102, 21 मई 2015

भाग-सी

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन

1. सामान्य

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के निदेशक मंडल को एक उपयुक्त नीति बनानी चाहिए और विभिन्न ट्रेजरी कार्यों के लिए उपयुक्त सीमाएं तय करनी चाहिए।

2. स्थिति और अंतराल

बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के तुरंत बाद नेट ओवरनाइट ओपन एक्सचेंज स्थिति (अनुबंध-I) और कुल अंतर सीमा की सूचना रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

3. अंतर-बैंक लेनदेन

पैरा 1 और 2 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निम्नानुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन मुक्त रूप से कर सकते हैं:

ए) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ:

(i) रुपये या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा को खरीदना/बेचना/अदला-बदली ।

(ii) विदेशी मुद्रा में जमा करना/स्वीकार करना और उधार लेना/उधार देना।

बी). विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी बैंकों और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के साथ

(i) ग्राहक के लेन-देन को कवर करने के लिए या अपनी स्थिति के समायोजन के लिए विदेशी मुद्रा को किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले खरीदना/बेचना/अदला-बदली,

(ii) विदेशी बाजारों में व्यापारिक प्रस्ताव(स्थिति) शुरू करना।

नोट :

ए. अनिवासी बैंकों के खातों की फंडिंग - कृपया भाग बी के पैराग्राफ 3 का संदर्भ लें।

बी. अंतर-बैंक बाजार में बिक्री के लिए फॉर्म ए2 को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सभी लेनदेन आर रिटर्न में रिजर्व बैंक को सूचित किए जाएंगे।

4. विदेशी मुद्रा खाते/विदेशी बाजारों में निवेश

(i) विदेशी मुद्रा खातों में अंतर्वाह मुख्य रूप से ग्राहक से संबंधित लेन-देन, अदला-बदली सौदे, जमा, उधार आदि से होता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्तरों तक विदेशी मुद्रा में शेष राशि बनाए रख सकते हैं।वे रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंतर सीमा के अनुपालन के अधीन अपनी विदेशी शाखाओं / प्रतिनिधियों के साथ ओवरनाइट प्लेसमेंट और निवेश के माध्यम से इन खातों में अधिशेष का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाजारों में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह के निवेश एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ एक विदेशी राष्ट्र द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा बाजार उपकरणों और/या ऋण लिखतों में किए जा सकते हैं और मूडीज द्वारा स्टैंडर्ड एंड पुअर / FITCH IBCA या Aa3 द्वारा कम से कम AA (-) के रूप में रेट किए गए हैं। किसी विदेशी राष्ट्र के मुद्रा बाजार लिखतों के अलावा अन्य ऋण लिखतों में निवेश के प्रयोजन के लिए, बैंक का बोर्ड देश की रेटिंग और देश-वार सीमाएं अलग से निर्धारित, जहां आवश्यक हो, कर सकता है।

नोट: इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट' में कोई भी ऋण लिखत शामिल होगा, जिसकी परिपक्वता अवधि खरीद की तारीख को एक वर्ष से अधिक न हो।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक भी विदेशी बाजारों में अप्रयुक्त एफसीएनआर (बी) निधियों को दीर्घावधि नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते निवेश की गई प्रतिभूतियों की परिपक्वता अंतर्निहित एफसीएनआर (बी) जमा की परिपक्वता से अधिक न हो।

(iv) नोस्ट्रो खातों में अधिशेषों का प्रतिनिधित्व करने वाली विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग निम्न के लिए किया जा सकता है:

ए) निवासी घटकों को उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या निर्यातकों/कॉर्पोरेट्स की रुपया कार्यशील पूंजी/पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए ऋण देना जिनके पास विवेकपूर्ण/ब्याज दर मानदंडों, ऋण अनुशासन और लागू ऋण निगरानी दिशानिर्देशों के अधीन विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक प्राकृतिक बचाव या जोखिम प्रबंधन नीति है।

बी) विदेशों में भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को ऋण सुविधाएं प्रदान करना जिसमें रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी एक निवासी कंपनी के पास हो।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार दावा न किए गए शेष खाते, असमाशोधित डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों को बट्टे खाते में डाल सकते हैं/अंतरित कर सकते हैं।

5. ऋण/ओवरड्राफ्ट

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के विदेशी विदेशी मुद्रा उधार की सभी श्रेणियां, (नीचे (सी) पर उधार लेने के अलावा), मौजूदा बाहरी वाणिज्यिक उधार और उनके प्रधान कार्यालय, विदेशी शाखाओं और भारत के बाहर प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ऋण / ओवरड्राफ्ट सहित [देखें (ई) नीचे] या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति के अनुसार कोई अन्य संस्था और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट (पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं) नीचे (एफ) में निर्धारित शर्तों के अधीन उनकी अप्रभावित टीयर I पूंजी या 10 मिलियन अमरीकी डालर (या इसके समतुल्य) जो भी अधिक हो, के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।पूर्वोक्त सीमा भारत में सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेशों में स्थित उनकी सभी शाखाओं/प्रतिवादियों से प्राप्त की गई कुल राशि पर लागू होती है और इसमें घरेलू स्वर्ण ऋणों के वित्तपोषण

के लिए सोने में विदेशी उधार भी शामिल है (cf. DBOD परिपत्र संख्या IBD.BC.33/23.67.001/2005-06 दिनांक 5 सितंबर 2005)। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक निकासी पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं की जाती है, तो अनुबंध-VIII में प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को उस महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें सीमा पार हो गई थी। यदि वैल्यू डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद है तो ऐसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

बी) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना चुकाया जा सकता है। इस नियम के अपवाद के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को आईईसीडी परिपत्र संख्या 12/04.02.02/2002-03 दिनांक 31 जनवरी 2003 के अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के साथ-साथ उधार ली गई निधियों का उपयोग करने की अनुमति है। इस सीमा से ऊपर की कोई भी नई उधारी केवल रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से ही की जाएगी। नए ईसीबी के लिए आवेदन वर्तमान ईसीबी नीति के अनुसार किए जाने चाहिए।

सी) निम्नलिखित उधार टियर I पूंजी के 100 प्रतिशत की अप्रभावित सीमा या 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (या इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, की सीमा से बाहर बने रहेंगे:

I) 2 जुलाई 2015 के डी.बी.ओ.डी मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के वित्तपोषण के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा विदेशी उधारी/निर्यातकों को रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण और ग्राहक सेवा।

ii) टियर II पूंजी के रूप में भारत में अपनी शाखाओं के साथ विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा रखा गया गौण ऋण।

iii) परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.57/21.01.002/2005-06 दिनांक 25 जनवरी 2006, डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.23/21.01.002/2006-07 दिनांक 21 जुलाई 2006 के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा में, बेमियादी कर्ज लिखत और ऋण पूंजी लिखतों के जारी होने से जुटाई/बढ़ाई गई पूंजीगत निधियां तथा बेमियादी कर्ज लिखत और 2 मई 2012 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2011-12 के अनुसार विदेशी मुद्रा में जारी बेमियादी कर्ज लिखत तथा ऋण पूंजी लिखत।

iv) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ कोई अन्य विदेशी ऋण।

डी) रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऋण/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज (करों को घटाकर) प्रेषित किया जा सकता है।

ई) [6]एडी श्रेणी-I बैंक केवल उन अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से उधार ले सकते हैं जिनमें भारत सरकार एक शेयरधारक सदस्य है या जो एक से अधिक सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं या एक से अधिक सरकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा शेयरधारिता रखते हैं।

एफ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की अक्षत टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक के ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

(i) बैंक के पास विदेशी ऋणों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को शामिल किया जाएगा जिसका पालन बैंक विदेश में विदेशी मुद्रा में ऋण लेते समय करेगा।

(ii) बैंक को 12.0 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखना चाहिए।

(iii) मौजूदा सीमा से अधिक ऋण तीन वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता के साथ होंगे।

(iv) अन्य सभी मौजूदा मानदंड (फेमा विनियमन, एनओपीएल मानदंड, आदि) लागू रहेंगे।

[6] ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 112 दिनांक 25 जून 2015

भाग डी

रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट

i) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान/प्रधान कार्यालय को अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से फॉर्म एफटीडी में विदेशी मुद्राआवर्त (टर्नओवर) और फॉर्म जीपीबी में अंतराल, स्थिति और नकद शेष राशि का दैनिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ii) प्रत्येक प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I के प्रधान/प्रधान कार्यालय को अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में मासिक आधार पर निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, आठवीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई-400 001को नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खाते की शेष राशि का विवरण अग्रेषित करना चाहिए। डेटा को प्रारूप में दिए गए नंबर/पते पर फैक्स या ई-मेल द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निवासियों द्वारा किए गए पारस्परिक मुद्रा व्युत्पन्न (क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव) लेनदेन पर डेटा को समेकित करना चाहिए और अनुबंध-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट (जून और दिसंबर) प्रस्तुत करनी चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर के ब्यौरे अनुबंध-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार अग्रेषित करें। प्राधिकृत व्यापारी को यह रिपोर्ट संशोधित प्रारूप के अनुसार केवल सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसे https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ पर देखा जा सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जिन्हें एक्सबीआरएल प्रणाली तक पहुँचने के लिए लॉगिन आईडी/पासवर्ड की आवश्यकता होती है, वे अपना ई-मेल पता और संपर्क नंबर ई-मेल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों के जोखिम का विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जाना है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह रिपोर्ट बैंक बहियों के आधार पर प्रस्तुत करनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट विवरणियों के आधार पर।

v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I को अनुबंध-VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार साप्ताहिक आधार पर किए गए विकल्प लेनदेन (FCY-INR) का विवरण अग्रेषित करना चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुबंध-IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार हर महीने के अंतिम शुक्रवार को सभी श्रेणियों के तहत अपने कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधार की सूचना देनी होगी। रिपोर्ट अगले महीने की 10 तारीख तक मिल जानी चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुबंध–X में दिए गए प्रारूप के अनुसार पिछले प्रदर्शन के आधार पर वायदा अनुबंध बुक करने की सुविधा के तहत उनके घटकों द्वारा दी गई और उपयोग की गई सीमाओं पर एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) प्रस्तुत करना आवश्यक है। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

viii) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का प्रधान/प्रधान कार्यालय ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से पाक्षिक आधार पर रिपोर्टिंग अवधि, जिससे यह संबंधित है, की समाप्ति से सात कैलेंडर दिनों के भीतर सभी विदेशी मुद्राओं की अपनी धारिता का विवरण देते हुए फार्म बीएएल में एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ix) अनुबंध XIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार एफपीआई/फंड का नाम, कवर की पात्र राशि, लिया गया वास्तविक कवर आदि दर्शाते हुए एफपीआई द्वारा लिए गए कवर के संबंध में अगले महीने की 10 तारीख से पहले मासिक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

x) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का प्रधान/प्रधान कार्यालय अपने सभी कार्यालयों/शाखाओं की एक अद्यतन सूची (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करनी चाहिए, जो हर साल दिसंबर के अंत में अनिवासी बैंकों के रूपया खातों का रख-रखाव कर रहे हैं, जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित उनके कोड नंबर दिए गए हैं। सूची अगले वर्ष की 15 जनवरी से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। कार्यालयों/शाखाओं को रिज़र्व बैंक के उन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिनमें वे स्थित हैं। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

xi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुबंध XIV में दिए गए प्रारूप के अनुसार अगले महीने के पहले सप्ताह के भीतर एसएमई और निवासी व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों द्वारा बुक और रद्द किए गए वायदा अनुबंधों पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

xii) धिकृत व्यापारियों को योजना के तहत अनिवासियों द्वारा किए गए लेन-देन पर डेटा को समेकित करना चाहिए और अनुबंध XIX में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

xiii) प्राधिकृत व्यापारियों को अनुबंध XX में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार योजना के तहत गैर-निवासियों द्वारा हेज लेनदेन और/या अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को बार-बार रद्द करने वाले संदिग्ध लेनदेन की तिमाही आधार पर रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय 23वीं मंजिल, मुंबई - 400 001 को भेजी जानी चाहिए जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। रिपोर्ट्स अधिमानतः ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।

भाग सी, पैराग्राफ 2 देखें]

ए. प्राधिकृत व्यापारिय श्रेणी - I की विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा के लिए दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा दोहरी प्रकृति की होगी।

i) विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल)।

ii) विनिमय दर प्रबंधन के लिए मुद्राओं (NOP-INR) में से एक के रूप में रुपये को शामिल करने वाले पोजिशन लिमिट

भारत में शामिल बैंकों के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सीमा उनकी विदेशी शाखाओं और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों सहित सभी शाखाओं के लिए कुल योग होना चाहिए। विदेशी बैंकों के लिए, सीमाएं केवल भारत में उनकी शाखाओं को कवर करेंगी।

i. विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल)।

एनओओपीएल को संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा तय किया जाना चाहिए और तुरंत रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसी सीमाएं बैंक की कुल पूंजी (टियर I और टियर II पूंजी) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नेट ओपन पोजीशन की गणना नीचे दी गई विधि के अनुसार की जा सकती है:

1. एकल मुद्रा में नेट ओपन पोजीशन की गणना

प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए ओपन पोजीशन को अलग से मापा जाना चाहिए। किसी करेंसी में ओपन पोजीशन (ए) नेट स्पॉट पोजीशन, (बी) नेट फॉरवर्ड पोजीशन और (सी) नेट ऑप्शंस पोजीशन का योग है।

ए) नेट स्पॉट स्थिति

नेट स्पॉट पोजीशनबैलेंस शीट में विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर है। इसमें सभी उपार्जित आय/व्यय शामिल होना चाहिए।

बी) नेट फॉरवर्ड पोजीशन

यह विदेशी मुद्रा लेनदेन के परिणामस्वरूप भविष्य में भुगतान की जाने वाली सभी राशियों को घटाकर प्राप्त की जाने वाली सभी राशियों का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है जो संपन्न हो गया है। ये लेन-देन, जो बैंक की पुस्तकों में तुलन-पत्र से इतर मदों के रूप में दर्ज हैं, में शामिल होंगे: i)स्पॉट लेनदेन जो अभी तक तय नहीं हुए हैं;

ii) वायदा (फॉरवर्ड) लेनदेन;

iii) गारंटियां और इसी तरह की प्रतिबद्धताएं विदेशी मुद्राओं में अंकित हैं जिनका नाम निश्चित है;

iv)शुद्ध भावी आय/व्यय अभी तक अर्जित नहीं हुए हैं लेकिन पहले से ही पूरी तरह से रक्षित (हेज) किया गया है (रिपोर्टिंग बैंक के विवेक पर);

v) करेंसी फ्यूचर्स के संबंध में प्राप्त/भुगतान की जाने वाली कुल राशि और करेंसी फ्यूचर्स/स्वैप पर मूलधन।

सी) नेट विकल्प की स्थिति

ऑप्शंस पोजीशन "डेल्टा-समतुल्य" स्पॉट करेंसी पोजीशन है जैसा कि अधिकृत डीलर के ऑप्शंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में परिलक्षित होता है, और इसमें किसी भी डेल्टा हेजेज को शामिल किया गया है। जो पहले से ही ऊपर 1(ए) या 1(बी) (i) और (ii) के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।

2. समग्र नेट ओपन पोजीशन की गणना

इसमें विभिन्न मुद्राओं में बैंक की दीर्ध और लघु स्थिति के मिश्रण में निहित जोखिमों का माप शामिल है।यह "शॉर्टहैंड विधि" अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसे समग्र शुद्ध ऑपन ऑप्शन पर पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए, बैंक समग्र निवल ऑपन ऑप्शन की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं:

i. प्रत्येक मुद्रा में शुद्ध ओपन पोजीशन की गणना करें (ऊपर पैरा 1)।

ii. स्वर्ण में नेट ओपन पोजीशन की गणना करें।

iii. मौजूदा भा.रि.बैं/फेडाई(विदेशी मुद्रा व्यापारी संध) के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में शुद्ध स्थिति और स्वर्ण को रुपये में परिवर्तित करें। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेन को वर्तमान मूल्य (पीवी) समायोजन के आधार पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

iv. सभी नेट शॉर्ट पोजीशन का योग।

v. सभी नेट लॉन्ग पोजीशन का योग।

समग्र निवल विदेशी मुद्रा स्थिति (iv) या (v) में से उच्चतर है। ऊपर बताए गए कुल शुद्ध विदेशी मुद्रा की स्थिति को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए।

नोट: प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को शुद्ध खुली स्थिति की गणना के उद्देश्य से पीवी समायोजन के आधार पर वायदा विनिमय संविदा सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक पीवी समायोजन के उद्देश्य से अपने स्वयं के प्रतिफल वक्र का चयन कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों के पास उपयोग किए जाने वाले प्रतिफल वक्र/(ओं) के संबंध में अपने एल्कों(आस्ति देयता प्रबंध समिति) द्वारा अनुमोदित एक आंतरिक नीति होनी चाहिए और इसे निरंतर आधार पर लागू करना चाहिए।

3. अपतटीय जोखिम

विदेशी उपस्थिति वाले बैंकों के लिए, अपतटीय जोखिमों की गणना उपरोक्त पद्धति के अनुसार स्टैंडअलोन आधार पर की जानी चाहिए और इसे तटवर्ती जोखिमों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कुल सीमा (ऑन-शोर + ऑफ-शोर) को नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन (एनओओपी) कहा जा सकता है और पूंजी प्रभार के अधीन होगा।ओपेन स्थिति की गणना के लिए विदेशी शाखाओं के संचित अधिशेष की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण इस प्रकार है:

यदि किसी बैंक की तीन विदेशी शाखाएं हैं और तीन शाखाओं की ओपेन स्थिति नीचे दी गई है-

शाखा ए: + 15 करोड़ रुपये

शाखा बी: + 5 करोड़ रुपये

ब्रांच सी:- 12 करोड़ रुपये

विदेशी शाखाओं के लिए कुल मिलाकर ओपन पोजीशन 20 करोड़ रुपए होगी।

4. पूंजी[7] आवश्यकता

जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है

5. अन्य दिशानिर्देश

i. प्राधिकृत व्यापारियों की एल्को/आंतरिक लेखापरीक्षा समिति को सीमा के उपयोग और पालन की निगरानी करनी चाहिए।

ii. प्राधिकृत व्यापारियों के पास रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित एनओओपी के विभिन्न घटकों को, जब भी आवश्यक हो, प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

iii. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा कारोबारी दिन के अंत तक किए गए लेन-देन की गणना विदेशी मुद्रा एक्सपोजर सीमा की गणना के लिए की जा सकती है। कारोबारी दिन की समाप्ति के बाद किए गए लेन-देन को अगले दिन की स्थिति में लिया जा सकता है। ईओडी का समय बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

ii. विनिमय दर प्रबंधन के लिए मुद्राओं में से एक मुद्रा (एनओपी-आईएनआर) के रूप में रुपये को शामिल करने वाले पदों की सीमा

ए. बाजार की स्थितियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक पर प्राधिकृत व्यापारियों के लिए एनओपी-आईएनआर निर्धारित किया जा सकता है।

---

[7] यह पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार टीयर I पूंजी को संदर्भित करती है.

बी. एनओपी-आईएनआर पोजीशन की गणना लॉन्ग और शॉर्ट ऑनशोर पोजीशन (शॉर्ट हैंड मेथड द्वारा प्राप्त) और विदेशी शाखाओं की नेट आईएनआर पोजीशन को घटाकर की जा सकती है।

सी. एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले करेंसी फ्यूचर्स/ऑप्शंस में बैंकों द्वारा की गई पोजिशन एनओपी-आईएनआर का हिस्सा बनेगी।

डी. ऑप्शन पॉजीशन के संबंध में, उतार-चढ़ाव वाले बाजार बंद/पुनर्मूल्यांकन के दौरान बड़े ऑप्शन ग्रीक्स के कारण किसी भी तरह की अधिकता को तकनीकी उल्लंघन माना जा सकता है। हालांकि, ऐसे उल्लंघनों की निगरानी बैंकों द्वारा उचित ऑडिट ट्रेल के साथ की जानी चाहिए। ऐसे उल्लंघनों को भी नियमित किया जाना चाहिए और उपयुक्त अधिकारियों (एएलसीओ/आंतरिक लेखापरीक्षा समिति) द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

बी. कुल अंतर सीमा (एजीएल)

i. संबंधित बैंकों के बोर्ड द्वारा अंतर सीमा (एजीएल) निर्धारित की जा सकती है और तत्काल इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दी जाएगी। हालांकि, ऐसी सीमाएं बैंक की कुल पूंजी (टियर I और टियर II पूंजी) के 6 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. हालांकि, प्राधिकृत व्यापारी जिन्होंने कुल विदेशी मुद्रा अंतर जोखिमों के लिए अवधिवार पीवी01 सीमा और वीएआर जैसे बेहतर उपाय किए हैं, उन्हें एजीएल के स्थान पर अपनी पूंजी, जोखिम वहन क्षमता आदि के आधार पर अपनी पीवी01 और वीएआर सीमा तय करने की अनुमति है। और इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दें। सीमा की प्रक्रिया और गणना को आंतरिक नीति के रूप में स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

अनुबंध-II

[भाग डी, पैराग्राफ (i) देखें]

विदेशी मुद्रा टर्नओवर डाटा की रिपोर्टिंग - एफ़टीडी और जीपीबी

एफ़टीडी और जीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और फॉर्मेट नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सुनिश्चित करें कि इन दिशानिर्देशों के आधार पर रिपोर्टें उचित रूप से संकलित की जाती हैं: एक खास तारीख के आंकड़े कारोबार की समाप्ति के अगले कार्य दिवस तक हमारे पास पहुँच जाने चाहिए।

एफ़टीडी

1. **स्पॉट-** नकदी और टॉम लेनदेनों को 'स्पॉट' लेनदेनों में शामिल किया जाना है।

2. **स्वैप-** स्वैप लेनदेनों के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बीच हुए विदेशी मुद्रा स्वैप की रिपोर्टिंग की जाए। दीर्घावधि स्वैप (परस्पर लेनदेन की मुद्रा और विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल न किया जाए। स्वैप लेनदेनों की रिपोर्टिंग केवल एक बार की जाए तथा 'स्पॉट' अथवा 'फॉरवर्ड' लेनदेनों के तहत इसे शामिल न किया जाए। खरीद/बिक्री स्वैप को 'स्वैप' के तहत 'खरीद' पक्ष में शामिल किया जाए जबकि बिक्री/खरीद स्वैप को 'बिक्री' की तरफ दर्शाया जाए।

3. **वायदा संविदा को रद्द करना -** व्यापारियों से खरीद पर वायदा संविदाओं के रद्द होने के तहत रिपोर्ट रिपोर्ट की जाने वाली राशि, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I के बैंकों द्वारा रद्द किए गए वायदा व्यापारी बिक्री संविदा का सकल हो(बाज़ार में आपूर्ति को जोड़कर)। रद्द वायदा संविदाओं की बिक्री की तरह, रद्द वायदा खरीद संविदाओं संविदाओं के सकल को दर्शाया जाए (बाजार में मांग को जोड़कर)।

4. **'एफ़सीवाई/एफ़सीवाई' लेनदेन -** लेनदेन के दोनों चरणों को अपने-अपने कॉलम में रिपोर्ट की जाए। उदाहरण के लिए ईयूआर/यूएसडी खरीद संविदा में ईयूआर राशि को खरीद की तरफ शामिल किया जाए जबकि यूएसडी राशि को बिक्री खरीद की तरफ शामिल किया जाए।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन को अंतर बैंक लेनदेनों में शामिल किया जाए। विदेशी मुद्रा कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों से इतर वित्तीय संस्थानों के साथ लेनदेनों को व्यापारी लेनदेनों में शामिल किया जाए।

जीपीबी

1. विदेशी मुद्रा शेष – सभी विदेशी मुद्रा नकद शेष और निवेशों को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाए और इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट किया जाए।
2. निवल जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति- यह करोड़ रुपये में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक के समग्र एक दिवसीय की निवल जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति दर्शाए। निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति का आकलन अनुबंध I में दिए गए अनुदेशों के आधार पर किया जाए।
3. उपर्युक्त एफसीवाई/आईएनआर का - राशि को रुपए के सामने दर्ज किया जाए अर्थात् निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा में से परस्पर लेनदेन की मुद्रा, यदि कोई हो तो उसे घटाएं।

एफ़टीडी और जीपीबी विवरणों के फॉर्मेट्स

एफ़टीडी

दिनांक .....को विदेशी मुद्रा का दैनिक टर्नओवर को दर्शाने वाला विवरण

		व्यापारी			अंतर बैंक		
		स्पॉट,कैस, रेडी, टी.टी इत्यादि।	वायदा	वायदों का निरसन	स्पॉट	स्वैप	वायदा
एफसीवाई/आईएनआर	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						
एफसीवाई / एफसीवाई	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						

जीपीबी

.....को अंतराल, स्थिति और नकद शेष को दर्शाने वाला विवरण

विदेशी मुद्रा शेष (नकद शेष + सभी निवेश)	:	मिलियन अमरीकी डॉलर में
निवल जोखिम विनिमय स्थिति (रुपये में)	:	भारतीय करोड़ रुपये में ओ/बी (+)/ओ/एस (-)
उपरोक्त एफसीवाई/आईएनआर में से	:	करोड़ रुपये में
एजीएल रखा गया (अमरीकी डॉलर में)	:	वीएआर(VaR) रखा गया (भारतीय रुपये में):

विदेशी मुद्रा परिपक्वता असंतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

I माह	II माह	III माह	IV माह	V माह	VI माह	>VII माह

अनुबंध III

[भाग डी, पैराग्राफ (ii) देखें]

माह..... के लिए नॉस्ट्रो/वॉस्ट्रो जमाशेष का विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम और पता.....

क्रम संख्या	मुद्रा	नॉस्ट्रो खाते में निवल जमाशेष	नॉस्ट्रो खाते में निवल जमाशेष
1	अमरीकी डॉलर		
2	यूरो		
3	जापानी येन		
4	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड		
5	रुपया		
6	अन्य मुद्राएं(मिलियन अमरीकी डॉलर में)		

टिप्पणी: जिन मामलों में उक्त मदों में (1 से 5 पर) प्रतिमाह 10 प्रतिशत से अधिक घट-बढ़ है उन मामलों में उसका कारण फुटनोट के रूप में संक्षिप्त में दिया जाए।

यह विवरण निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिल, मुंबई- 400 001. फोन: 022-2266 3791. फैक्स 022 2262 2993, 2266 0792 को संबोधित किया जाना चाहिए।

अनुबंध IV

[भाग डी, पैरा (iii) देखें]

परस्पर लेनदेन संबंधी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन - .....को समाप्त अर्ध वार्षिक विवरण

उत्पाद	लेनदेन की संख्या	अनुमानित मूल राशि, अमरीकी डॉलर में
ब्याज दर स्वैप		
मुद्रा स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा विकल्प		
ब्याज दर कैप या कॉलर(खरीद)		
वायदा दर करार		
रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कोई उत्पाद		

अनुबंध V

[भाग डी, पैराग्राफ (iv) देखें]

दिनांक.....को विदेशी मुद्रा के निवेशों से संबंधित जानकारी

दिनांक .....को विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी बैंक का नाम									दिनांक .....को विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी बैंक का नाम						सी. रुपया देयता पर आधारित भारतीय रुपया/एफसीवाई स्वैप (25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य/से अधिक रिपोर्ट किए जाए)
ए. अंतर्निहित लेनदेनों पर आधारित एक्सपोजर और हेज़ेस (मिलियन अमरीकी डॉलर में)									**बी. बिगत निष्पादन पर आधारित एक्सपोज़र और हेज़ेस (अमरीकी डॉलर में)**						
क्र. सं.	कॉर्पोरेट का नाम	**व्यापार संबद्ध**						**व्यापारेतर**		**निर्यात**			**आयात**			
		निर्यात		आयात		अल्पावधि वित्त बकाया				पात्रसीमा	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	पात्रसीमा	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	
		एक्सपोज़र	**हेज राशि**	**एक्सपोज़र**	**हेज राशि**	**एक्सपोज़र**	**हेज राशि**	**एक्सपोज़र**	**हेज राशि**							
1																
2																
3																
4																
5																
टिप्पणियाँ																
ए.	खरीदे गए/भुनाए गए/परक्राम्य किए गए निर्यात बिलों को सम्मिलित															

न किया जाए।							
बी. स्थापित साखपत्र / साखपत्र के तहत निपटान हो चुके बिलों /आयात आय की वसूली हेतु बकाया बिलों को सम्मिलित किया जाए।							
सी. प्रस्तुत की जाने वाले आँकड़े कॉर्पोरेट के विवरण पर आधारित न होकर बैंकों की बहियों पर आधारित हों।							
डी. अल्पकालिक वित्त में बैंक/पीसीएफसी द्वारा अनुमोदित व्यापार ऋण (क्रेता ऋण/आपूर्तिकर्ता ऋण) का समावेश हों।							
ई. व्यापारेतर एक्सपोजर में बैंक द्वारा की गए ईसीबी, एफसीसीबी के मामले /एफसीएनआर (बी) खातेगत ऋण आदि का समावेश हो।							
एफ़. कॉरपोरेट-वार आँकड़े जहां एक्सपोजर अथवा हेजेस 25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य या उससे अधिक हों रिपोर्ट की जाए।							
जी. सभी हेजेस जिनमें रुपया एक लेग के रूप में हो रिपोर्ट की जाए।							
एच. विकल्प (ऑप्शन) स्ट्रक्चर के मामले में, उच्चतम नोशनल राशि वाले व्यापार रिपोर्ट किए जाएं।							
आई. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिगणित 25 मिलियन डॉलर के समतुल्य या उससे अधिक आकलित हुई पात्र सीमा संबंधी मामलों में कंपनी वार आँकड़े, भाग 'बी' में रिपोर्ट की जाएं।							
जे. भाग 'बी' में हेज की गई राशि के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान बुक किए गए हेजेस का संचयी जोड़ रिपोर्ट किया जाए।							
के. विगत वर्ष में बुक की गई संविदा राशि, जो बकाया है, को भाग 'बी' में हेज की गई राशि तथा बकाया राशि में शामिल नहीं किया जाएगा।							
एल. केवल वे मामले भाग'बी' में रिपोर्ट की जाएं जिनमें बैंक ने कॉर्पोरेट को पीपी(PP) सीमा को मंजूरी दी हो।							

टिप्पणी:

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, उपर्युक्त तिमाही रिपोर्ट संशोधित प्रारूप के अनुसार सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली द्वारा **केवल ऑनलाइन** प्रेषित करें जिसका लिंक https://secweb.rbi.org.in/ है।

अनुबंध VI

[भाग ए अनुभाग 1 पैरा 2(जी)(ii) देखें]

विगत निष्पादन सुविधा के तहत बुक की गई/रद्द की गई राशियों की घोषणा का फॉर्मेट

[कंपनी के लेटरहेड पर]

दिनांक :

सेवा में,

(बैंक का नाम और पता)

महोदय,

विषय: विगत निष्पादन सुविधा के तहत बुक की गई/रद्द की गई राशियों की घोषणा

हम, इस संबंध में("वचनपत्र") दिनांक[ ] को हमारे द्वारा आपको प्रस्तुत वचनपत्र के बारे में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक (प्राधिकृत श्रेणी I बैंकों) के पास विगत निष्पादन सुविधा पर आधारित विदेशी मुद्रागत निहित वायदा अथवा विकल्प संविदाओं की बुकिंग की सुविधा का हवाला देते हैं।

उक्त वचनपत्र के अनुसरण में, हम एतद्वारा सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास हमारे द्वारा बुक किए गये लेनदेनों की राशियों के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं।

हम निम्नलिखित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से विगत निष्पादन सीमा की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं:

.....

फेमा विनियमावली के तहत यथा अनुमत उक्त विगत निष्पादन सुविधा के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास बुक की गई/रद्द की गई राशियों के संबंध में जानकारी नीचे दी जाती हैं:

(राशि अमरीकी डॉलर में)

विगत निष्पादन के तहत पात्र सीमा	अप्रैल से आज की तारीख तक सभी प्राधिकृत व्यापारी के पास बुक की गई संविदाओं की सकल राशि	अप्रैल से आज की तारीख तक सभी प्राधिकृत व्यापारी के पास रद्द किए गए संविदाओं की राशि	आज की तारीख तक सभी प्राधिकृत व्यापारी के पास बकाया संविदाओं की राशि	आज की तारीख तक उपयोग में लाई गई राशि(प्रलेखों की सपुर्दगी द्वारा)	आज की तारीख में विगत निष्पादन के तहत उपलब्ध सीमा

सादर

भवदीय

कृते XXXXXX

(मुख्य वित्त अधिकारी) (कंपनी सचिव)

[भाग ए अनुभाग 1 पैरा 2(जी)(iv) देखें]

विगत निष्पादन की सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक उपयोग और आयात/निर्यात टर्नओवर, अतिदेय आदि के विवरण के लिए घोषणा का फॉर्मेट।

[कंपनी के लेटरहेड पर]

सेवा में

(नाम और बैंक का पता)

महोदय,

विषयः विगत निष्पादन सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक उपयोग की घोषणा और आयात/निर्यात टर्नओवर, अतिदेय आदि का विवरण।

1. [तारीख] को विगत निष्पादन के तहत हमारे द्वारा प्राप्त बकाया वायदा कवर का मूल्य हमारे आयात [निर्यात] के लिए हमारी पात्रता का [ ] प्रतिशत है।
2. हम प्रमाणित करते हैं कि इस सुविधा का उपयोग करते समय विगत निष्पादन के तहत संभावित जोखिमों की हेजिंग के संबंध में सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
3. हम घोषणा करते हैं कि नीचे दी गई तालिका में दी गई जानकारी सही है तथा फेमा, 1999 (1999 का अधिनियम 42) के तहत जारी विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग करते हुए विगत निष्पादन के तहत मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए हमारे आवेदन को समर्थन प्रदान करती है।

(मिलियन अमरीकी डालर में राशि)

वित्तीय वर्ष	टर्नओवर		टर्नओवर के अतिदेय बिलों का प्रतिशत		विगत निष्पादन के आधार पर वायदा कवर की बुकिंग के लिए मौजूदा सीमा	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
वर्ष 1						
वर्ष 2						
वर्ष 2						

भवदीय

कृते XXXXXX

(मुख्य वित्तीय अधिकारी) (कंपनी सचिव)

अनुबंध VIII

[भाग डी, पैराग्राफ (v) देखें]

एफसीवाई/रुपया विकल्प लेनदेन

[..... को समाप्त सप्ताह के लिए]

क. विकल्प लेनदेन रिपोर्ट

क्रम सं.	व्यापार तारीख	ग्राहक/ सी पार्टी का नाम	अनुमानित(नोशनल)	क्रय/विक्रय विकल्प	स्ट्राईक	परिपक्वता	प्रीमियम	प्रयोजन*

- व्यापार अथवा ग्राहक संबंधी तुलनपत्र का उल्लेख करें।

II. विकल्प स्थिति रिपोर्ट

करेंसी युग्म	**अनुमानित बकाया**		**नेट पोर्टफोलियो डेल्टा**	**नेट पोर्टफोलियो गामा**	**नेट पोर्टफोलियो वेगा**
अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपया	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर		
यूरो- भारतीय रुपया	यूरो	यूरो	यूरो		
जापानी येन - भारतीय रुपया	जापानी येन	जापानी येन	जापानी येन		

(अन्य करेंसी पेयरों के लिए इसी प्रकार से)

टोटल नेट ओपन ऑप्शंस पोजीशन (आईएनआर):

4 अप्रैल 2003 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 92 में निर्धारित पद्धति का उपयोग करते हुए टोटल नेट ओपन ऑप्शंस का पता लगाया जा सकता है।

III. पोर्टफोलियों डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर- वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन =

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर- ह्रास) के लिए अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन =

इसी तरह, यूरो-भारतीय रुपए, जापानी येन-भारतीय रुपए, जैसे अन्य करेंसी पेयरों के लिए भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत परिवर्तन (एफसीवाई वृद्धि और मूल्य ह्रास अलग-अलग) के लिए डेल्टा में परिवर्तन।

IV. स्ट्राईक कंसंट्रेशन रिपोर्ट

परिपक्वता समूह						
स्ट्राईक मूल्य	**1 सप्ताह**	**2 सप्ताह**	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**>3 माह**

यह रिपोर्ट मौजूदा हाजिर स्तर के आसपास 150 पैसे के दायरे के लिए तैयार की जानी चाहिए। संचयी स्थितियां दी जाए।

सभी राशियाँ मिलियन अमरीकी डॉलर में। जब बैंक कोई विकल्प स्वीकार करता है तो राशि धनात्मक दर्शायी जाए। जब बैंक कोई विकल्प विक्रय करता है तो राशि ऋणात्मक दर्शायी जाए। **सभी रिपोर्ट मार्केट-मेकरों द्वारा ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएं। रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तैयार की जाएं तथा अगले सोमवार तक भेजी जाएं।**

अनुबंध IX

[भाग सी, पैरा 5(ए) देखें]

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार – दिनांक _____की रिपोर्ट

राशि (समतुल्य मिलियन अमरीकी डालर* में)

बैंक (स्विफ्ट कोड)	पिछली तिमाही ..... के अंत में टीयर – I पूंजी	1 जुलाई 2009 के जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन पर मास्टर परिपत्र के भाग-सी, पैरा 5(ए) के अनुसार उधार	रुपया स्त्रोतों की पुनः पूर्ति करने की सीमा से अधिक उधार @	बाह्य वाणिज्यिक उधार	औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के निर्यात ऋण पर 01 जुलाई 2003 के मास्टर परिपत्र तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000- आरबी के विनियम 4.2(iv) के अंतर्गत उधार	
					(ए) विदेशी मुद्रा में लदान पूर्व ऋण व्यवस्था (पीसीएफसी)	(बी) बैंकर्स स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) / विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर) उपलब्ध करने के लिए विदेश से ऋण
	ए	1	2	3	4ए	4बी
	टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा में गौण ऋण	कोई अन्य संवर्ग (कृपया विशेष रूप से यहां इस स्तंभ में उल्लेख करें)	कुल (1+2+3+6)	कुल (1+2+3+4+6)	ए. के टीयर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+6) के अंतर्गत उधार	ए. के टीयर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+4+6) के अंतर्गत उधार
	5	6	7	8	9	10

नोट:

*1. परिवर्तन के लिए रिपोर्ट की तारीख को रिज़र्व बैंक संदर्भ दर और न्यूयॉर्क बंद दरों का उपयोग करें।

@ 2. दिनांक 24 मार्च 2004 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 81 के पैरा 4 के अनुसार सुविधा फिलहाल निकाल दी गई है।

अनुबंध-X

[भाग –ए, खंड I, पैराग्राफ 1(ii)(I)]

पिछले निष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग

दिनांक .....की रिपोर्ट

बैंक का नाम.....

(अमरीकी डॉलर में)

माह के दौरान स्वीकृत कुल सीमाएं (1)	संचयी स्वीकृत सीमाएं (2)	बुक की गई संविदाओं की राशि (3)			उपयोग में लाई गई राशि(प्रलेखों की सपुर्दगी द्वारा) (4)			रद्द की गई वायदा संवीदाओं की राशि(5)		
		वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपया विकल्प	पारस्परिक मुद्रा विकल्प	वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपया विकल्प	पारस्परिक मुद्रा विकल्प	वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपया विकल्प	पारस्परिक मुद्रा विकल्प

रिपोर्ट की तारीख को विगत निष्पादन सुविधा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों की संख्या: .....

टिप्पणियाँ:

1. समग्र रूप में बैंक की स्थिति दर्शायी जाए।
2. वर्ष के दौरान स्तम्भ 2,3, 4, और 5 में दी गई राशियाँ संचयी स्थिति में होनी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशियों को आगे ले जाकर अगले वर्ष की सीमा में शामिल कर लिया जाएगा और इस प्रकार अगले वर्ष के लिए पात्र सीमाओं की गणना करते समय उसे शामिल किया जाएगा।

अनुबंध XI

[भाग ए, खंड I, पैरा 5 ए (i) देखें]

ए. अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों /बाजारों में पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाजारों में किसी पण्य (सोना, प्लेटिनम और चांदी को छोड़कर) के मूल्य जोखिम की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं।

रिज़र्व बैंक को, आवश्यक समझे जाने पर, बैंकों को दी गई अनुमति को वापस लेने का अधिकार है।

2. कॉरपोरेट्स को लेनदेनों की हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी को एक बोर्ड प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो (i) कि इन लेनदेनों में शामिल जोखिमों को बोर्ड समझता है, (ii) हेजिंग लेनदेनों का स्वरूप, जो कॉर्पोरेट आने वाले वर्ष में करेगी और (iii) कंपनी सिर्फ वहां हेजिंग लेनदेन करेगी जहां यह मूल्य जोखिम से संबंधित हो।

3. पण्यों के आयात/निर्यात पर मूल्य जोखिम के संबंध में हेज करने के लिए गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को अनुमति देने से पहले उन्हें अपनी प्रस्तावित हेजिंग कार्यनीति का संक्षिप्त विवरण प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, अर्थात्:

• व्यावसायिक गतिविधि का विवरण और जोखिम का स्वरूप,

• हेजिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रस्तावित लिखत,

• पण्य मंडियों और ब्रोकरों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम की हेजिंग के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है और ली जाने वाली प्रस्तावित ऋण सीमा (क्रेडिट लाइन)। संबंधित देश के विनियामक प्राधिकारी का नाम और पता भी दिया जाए,

• जोखिम (एक्सपोज़र) की मात्रा/औसत अवधि और/अथवा वर्ष में कुल टर्नओवर और साथ ही उसकी अनुमानित(प्रत्याशित) चरम स्थितियां और गणना का आधार।

इसके प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीति की एक प्रति के साथ;

- जोखिम की पहचान
- जोखिम माप
- पुनर्मूल्यांकन और/अथवा स्थिति की निगरानी के संबंध में दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए
- लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम और सीमाएं

4. प्राधिकृत व्यापारी किसी भी बचाव (hedge) लेनदेन को करने से मना कर सकते हैं यदि उन्हें लेनदेन की वास्तविकता के बारे में संदेह है अथवा कॉर्पोरेट मूल्य जोखिम के लिए एक्सपोज नहीं है। वे शर्तें जिनके अधीन प्राधिकृत व्यापारी हेज (hedge) की अनुमति देंगे और लेन-देन की निगरानी के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों/बाजारों में घरेलू बिक्री/खरीद लेनदेन पर मूल्य जोखिम की हेजिंग की अनुमति नहीं है, भले ही घरेलू कीमत कमोडिटी की अंतरराष्ट्रीय कीमत से

जुड़ी हो, कुछ निर्दिष्ट लेनदेन को छोड़कर, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित किया जा सकता है। ग्राहकों को अपनी हेजिंग गतिविधि शुरू करने से पहले आवश्यक सूचना दी जा सकती है।

5. प्राधिकृत व्यापारी बैंक को मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक महीने के भीतर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उन्हें, उन कॉरपोरेट्स के नाम देने होंगे जिन्हें उनके द्वारा कमोडिटी हेजिंग की अनुमति प्रदान की गई है तथा कमोडिटी हेज्ड का नाम देना होगा।

6. प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत कवर नहीं होने वाले, हेज लेनदेन करने के लिए ग्राहकों के आवेदन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I, द्वारा अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को भेजा जाना जारी रखा जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में हेजिंग लेनदेन करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देश

1. हेज लेनदेन का फोकस जोखिम नियंत्रण पर होगा। केवल ऑफ-सेट हेज की अनुमति है।

2. सभी मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (केवल खरीद) की अनुमति है। यदि जोखिम प्रोफ़ाइल वारंट करती है, तो कॉर्पोरेट/फर्म ओटीसी संविदाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। अनुबंध XVII में प्रदत्त विस्तृत दिशानिर्देशों के अधीन प्रत्यक्ष अथवा निहित प्रीमियम का कोई शुद्ध प्रवाह नहीं होने तक, कॉर्पोरेट/फर्म ऑपशन रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करने के लिए भी ओपन है, जिसमें ऑप्शनों की एक साथ खरीद और बिक्री शामिल है। कॉरपोरेट्स/फर्मों को एक ही ब्रोकर के साथ विपरीत लेन-देन के साथ एक ऑप्शन पोजीशन को रद्द करने की अनुमति है।

3. कॉर्पोरेट/फर्म को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में एक विशेष (स्पेशल) खाता खोलना चाहिए। हेजिंग से संबंधित सभी भुगतान/प्राप्तियां प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I द्वारा इस खाते के माध्यम से रिज़र्व बैंक को अग्रिम संदर्भ के बिना प्रभावी की जा सकती हैं।

4. ब्रोकर की माह-समाप्ति की रिपोर्ट की एक प्रति, कॉर्पोरेट के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टि की गई/प्रतिहस्ताक्षरित बैंक द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अपतटीय पोजीशन फिजीकल एक्सपोज़र द्वारा समर्थित हैं/थे।

5. ब्रोकरों द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरण, विशेष रूप से वे जो बुक किए गए लेन-देन के विवरण प्रस्तुत करते हैं और संविदाए क्लोज आउट हो गए हैं और निपटान में देय/भुगतान योग्य राशि की कॉर्पोरेट/फर्म द्वारा जांच की जानी चाहिए। असमाधानकृत मदों के संबंध में ब्रोकर के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए और समाधान तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

6. कॉर्पोरेट/फर्म को कोई अंतरपणन/सट्टा लेनदेन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में लेन-देन की निगरानी की जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I की होगी।

7. कंपनी/फर्म द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I को सांविधिक लेखापरीक्षकों का वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र में यह पुष्टि करनी चाहिए कि निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन किया गया है और कॉर्पोरेट/फर्म का आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक हैं। इन प्रमाणपत्रों को आंतरिक ऑडिट/निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

बी. देशी (डॉमेस्टिक) कच्चे तेल की रिफाइनिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर कमोडिटी मूल्य जोखिम की हेजिंग

1. इस अनुबंध के (ए) और (बी) में दी गई शर्तों और दिशानिर्देशों के अधीन, हेजिंग केवल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से की जानी है।

2. उपरोक्त हेजिंग सुविधाओं को प्रदान करते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देशी (डॉमेस्टिक) कच्चे तेल की रिफाइनिंग कंपनियां अपने एक्सपोजर को हेजिंग करने के लिए निम्नलिखित का पालन करें:

• बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसियां होनी चाहिए जो समग्र फ्रेमवर्क को परिभाषित करती हों, जिसके अंतर्गत डेरिवेटिव गतिविधियां की जाती हैं और जोखिम निहित होते हैं;
• विशिष्ट गतिविधि के लिए और ओटीसी बाजारों में डीलिंग करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गई है;
• बोर्ड की मंजूरी में स्पष्ट रूप से मार्क-टू-मार्केट पॉलिसी, ओटीसी डेरिवेटिव्स आदि के लिए अनुमत प्रतिपक्षों को शामिल किया जाना चाहिए; और
• देशी (डॉमेस्टिक) कच्चे तेल कंपनियों को छमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष ओटीसी लेनदेन की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए, जो इस योजना के तहत हेजिंग सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को हमारे परिपत्र सं.बीपी.बीसी.44/21.04.157/2011-12 दिनांक 02 नवंबर 2011 के अंतर्गत डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देश' के पैरा 8.3 के अंतर्गत निर्धारित किए गए ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेजिंग उत्पादों की "उपयोगकर्ता उपयुक्तता" और "उपयुक्तता" भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

अनुमोदन के माध्यम

भारत के निवासी, आयात और निर्यात का व्यापार करने वाले अथवा समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा अनुमोदित के रूप में, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में सभी वस्तुओं के मूल्य जोखिम को हेज कर सकतें हैं। उन कंपनियों/फर्मों के कमोडिटी हेजिंग के लिए आवेदन जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के प्रत्यायोजित प्राधिकरण द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, निम्नलिखित विवरण देते हुए विशेष अनुशंसा के साथ प्राधिकृत व्यापारी बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक को भेजा जा सकतें हैं:

1. प्रस्तावित हेजिंग रणनीति का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्: व्यावसायिक गतिविधि का विवरण और जोखिम की प्रकृति, हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण, कमोडिटी एक्सचेंजों और दलालों के नाम जिनके माध्यम से जोखिम को हेज करने का प्रस्ताव है और क्रेडिट लाइन का उपयोग करने का प्रस्ताव है। संबंधित देश में विनियामक प्राधिकरण का नाम और पता भी दिया जा सकता है, एक्सपोजर का आकार/औसत अवधि और/अथवा एक वर्ष में कुल टर्नओवर, इसके साथ-साथ अपेक्षित पीक पोजीशन और उसकी गणना का आधार।

2. प्रबंधन द्वारा अनुमोदित बोर्ड जोखिम प्रबंधन पॉलिसी की एक प्रति जिसमें शामिल हो;
जोखिम की पहचान
जोखिम माप
पुनर्मूल्यांकन और/अथवा स्थितियों की निगरानी के संबंध में दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए
लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम और सीमाएं

3. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

इस गतिविधि को करने के लिए दिशानिर्देशों के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा वन-टाइम अनुमोदन दिया जाएगा।

अनुबंध - XIII

[भाग-ए, खंड II, पैराग्राफ 1 देखें]

विवरण – एफपीआई ग्राहकों द्वारा किए गए फॉरवर्ड कवर का विवरण

माह –

भाग ए – लंबित फॉरवर्ड कवर (पुन: बुर्किंग के बिना) का विवरण

पीएफआई का नाम

वर्तमान बाजार मूल्य (USD mio)

फॉरवर्ड कवर के लिए पात्रता	बुक किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स		रद्द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स		कुल फॉरवर्ड कवर लंबित
	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष से तिथि	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष से तिथि	

भाग बी– रद्द करने और पुनः बुक करने के लिए अनुमत लेनदेनों का विवरण

पीएफआई का नाम

वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित बाजार मूल्य (USD mio)

फॉरवर्ड कवर के लिए पात्रता	बुक किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स		रद्द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स		कुल फॉरवर्ड कवर लंबित
	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष से तिथि	माह के दौरान	संचयी योग - वर्ष से तिथि	

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

दिनांक :

मुहर :

अनुबंध - XIV

[भाग डी, पैरा (x) देखें]

विवरण - बुक किए गए और रद्द किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स / ऑप्शन्स का विवरण

समाप्त तिमाही के लिए –

श्रेणी	बुक किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स / एफसीवाई-आईएनआर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स		रद्द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स / एफसीवाई-आईएनआर ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट्स	
	तिमाही के दौरान	संचयी कुल वर्ष अब तक	तिमाही के दौरान	संचयी कुल वर्ष अब तक
लघु और मध्यम उद्यम				
व्यक्ति/Individuals				
फर्म / कंपनियां				

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

दिनांक :

मुहर :

अनुबंध - XV

[ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 15, दिनांक 29 अक्तूबर, 2007 और ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 20, दिनांक 8 अक्तूबर, 2015]

[भाग ए, खंड I, पैरा 3(ii)(सी) देखें]

निवासी व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों द्वारा यूएसडी 1,000,000 तक के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स / ऑप्शंस की बुकिंग के लिए आवेदन सह घोषणा पत्र

(आवेदक द्वारा भरा जाना है)

I. आवेदक का विवरण

ए. नाम ……..

बी. पता……

सी. खाता संख्या……..

डी. पैन नंबर…….

II. फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड / एफसीवाई-आईएनआर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स का विवरण अपेक्षित है

1. राशि (करेंसी पेयर का उल्लेख करें) ……

2. परिपक्वता काल (Tenor) …….

III. आज की तारीख में बकाया फॉरवर्ड/एफसीवाई-आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट्स का कल्पित मूल्य …….

IV. वास्तविक/प्रत्याशित विप्रेषणों का विवरण

1. राशि:

2. विप्रेषण सारणी:

3. उद्देश्य:

घोषणा मैं, ……. ……(आवेदक का नाम), एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ----------(नामित शाखा) के साथ बुक किए गए विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड / एफसीवाई-आईएनआर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल राशि ----------(बैंक) भारत में 1,000,000/- अमरीकी डॉलर (केवल एक मिलियन अमेरिकी डॉलर) की सीमा के भीतर है और प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अनुमत चालू और/पूंजी खाता लेनदेन करने के लिए हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने किसी अन्य बैंक/शाखा के साथ विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड/एफसीवाई-आईएनआर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स बुक नहीं किए हैं। मैंने विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स/एफसीवाई-आईएनआर आप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बुकिंग में निहित जोखिमों को समझ लिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक द्वारा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक .....(आवेदक का नाम) जिसके पास पैन नंबर है..... हमारे पास उसका एक खाता .....(सं.) .....* से है। हम प्रमाणित करते हैं कि ग्राहक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित धन-शोधन निवारण/अपने ग्राहक को जानिए के दिशानिर्देशों को पूरा करता है और पुष्टि करते हैं कि अपेक्षित योग्यता और उपयुक्तता का परीक्षण किए गया है।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम:

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

मुहर और सील * माह / वर्ष

अनुबंध - XVI

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 35, दिनांक 10 नवंबर 2008]

[भाग ए, खंड I, पैराग्राफ 5 देखें]

आपातोपयोगी (standby) साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने के लिए शर्तें/दिशा-निर्देश - कमोडिटी हेजिंग लेनदेन

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल वहीं गारंटी/आपातोपयोगी साख पत्र जारी कर सकते हैं जहां विप्रेषण प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी कमोडिटी हेजिंग के लिए दी गई विशिष्ट स्वीकृति के अंतर्गत कवर किया गया हो।

2. जारीकर्ता बैंक के पास इस तरह के लेनदेन के लिए बैंक द्वारा किए जा सकने वाले एक्सपोज़रों की प्रकृति और परिमाण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसी होनी चाहिए और इसको ग्राहकों के क्रेडिट एक्सपोज़र का हिस्सा होना चाहिए। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए एक्सपोजर को जोखिम माप भी सौंपा जाना चाहिए।

3. कंपनी की स्वीकृत कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों के संबंध में मार्जिन मनी के भुगतान के विशिष्ट उद्देश्य के लिए आपातोपयोगी साख पत्र / बैंक गारंटी जारी की जा सकती है।

4. आपातोपयोगी साख पत्र / बैंक गारंटी जारी की जा सकती है परन्तु यह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विशिष्ट प्रतिपक्ष को किए गए मार्जिन भुगतान से अधिक राशि की नहीं होनी चाहिए।

5. ग्राहक को उपलब्ध गैर-निधिक सुविधा (साख पत्र/बैंक गारंटी सीमा) पर धारणाधिकार चिह्नित करने के पश्चात, आपातोपयोगी साख पत्र/बैंक गारंटी अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जा सकती है।

6. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी कमोडिटी हेजिंग के दिशानिर्देशों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

7. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रोकर की महीने के अंत की रिपोर्ट कॉर्पोरेट के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टि/प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्तुत की गई है।

8. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अपतटीय पोजीशन भौतिक एक्सपोज़र द्वारा समर्थित हैं/थे, बैंक द्वारा माह के अंत में ब्रोकरों की रिपोर्ट नियमित रूप से सत्यापित की जाएंगीं।

अनुबंध - XVII

उपयोगकर्ताओं को ओटीसी ऑप्शन रणनीतियों के संयोजन में प्रवेश करने की अनुमति देने की शर्तें जिसमें एक साथ विदेशी कमोडिटी हेजिंग के लिए ऑप्शन की खरीद और बिक्री शामिल है

उपयोगकर्ता – सूचीबद्ध कंपनियां और उनकी सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम / सहयोगी जिनके पास सामान्य खजाना और समेकित बैलेंस शीट अथवा असूचीबद्ध कंपनियां हैं जिनकी न्यूनतम निवल संपत्ति रु. 200 करोड़ हो

बशर्ते

ए. ऐसे सभी उत्पाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य के हों;

बी. कंपनियां जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों का पालन करती हों तथा ऐसे उत्पादों/कॉन्ट्रैक्टों के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अन्य लागू मार्गदर्शन के साथ-साथ विवेक का सिद्धांत भी जिसमें अपेक्षित हानि का निर्धारण और अप्राप्त लाभ का गैर-निर्धारण की आवश्यकता होती है;

सी. वित्तीय विवरणों में आईसीएआई की दिनांक 02 दिसंबर 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में निर्धारित किए गए अनुसार प्रकटीकरण किया गया हो; और

डी. एक विशिष्ट खंड के साथ कंपनियों की जोखिम प्रबंधन पॉलिसी होनी चाहिए जिस पॉलिसी में लागत कम करने वाली संरचनाओं के प्रकार/प्रकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई हो।

(नोट: उपरोक्त लेखांकन ट्रीटमेंट यथा 30/32 अथवा समकक्ष मानकों को अधिसूचित किए जाने तक एक परिवर्ती व्यवस्था है।)"

परिचालन दिशानिर्देश, नियम और शर्तें

ए. उपयोगकर्ताओं द्वारा स्टैंडअलोन आधार पर ऑप्शंस के अंकन की अनुमति नहीं है। हालांकि, उपयोगकर्ता लागत घटाने की संरचना के हिस्से के रूप में ऑप्शंस का अंकल कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रीमियम की कोई निवल प्राप्ति न हो।

बी. नियंत्रित ढ़ांचा, डिजिटल ऑप्शंस, बैरियर ऑपशंस और किसी भी अन्य विदेशी उत्पादों की अनुमति नहीं है।

सी. टर्म शीट में ऑप्शंस के डेल्टा को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

डी. अंतर्निहित के प्रयोजन के लिए संरचना के सबसे बड़े कल्पित भाग की गणना की जानी चाहिए।

ई. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक परिचालन के मापदंड और उपयोगकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, जैसे निरंतर लाभप्रदता आदि निर्धारित कर

अनुलग्नक XVIII

अनिवासी-निर्यातक/आयातक के संबंध में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) फॉर्म

अनिवासी-निर्यातक/आयातक का पंजीकृत नाम (नाम, यदि अनिवासी-निर्यातक/आयातक एक व्यक्ति है)	
पंजीकरण संख्या (विशिष्ट पहचान संख्या * अनिवासी-निर्यातक/आयातक के एक व्यक्ति होने के मामले में)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता यदि अनिवासी -निर्यातक/आयातक एक व्यक्ति है)	
अनिवासी-निर्यातक/आयातक के बैंक का नाम	
अनिवासी-निर्यातक/आयातक का बैंक खाता संख्या	
अनिवासी-निर्यातक/आयातक के साथ बैंकिंग संबंधों की अवधि	

* अनिवासी निर्यातक/आयातक की वास्तविकता को प्रमाणित करने वाला पासपोर्ट संख्या, सामाजिक सुरक्षा संख्या, या कोई विशिष्ट संख्या जो अनिवासी निर्यातक/आयातक के देश में प्रचलित हो।

हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य और सटीक है जैसा कि अनिवासी-निर्यातक/आयातक के विदेशी विप्रेषण बैंक द्वारा प्रदान किया गया है।

(एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
दिनांक : स्थान :
स्टैम्प :

अनुबंध XIX

अनिवासी-आयातक/निर्यातक द्वारा किए गए डेरिवेटिव लेनदेन की रिपोर्टिंग – --को समाप्त तिमाही के लिए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम -

अनिवासी आयातकों/ निर्यातकों की संख्या जो सुविधा का लाभ उठा रहे हैं		व्युत्पन्न के लेनदेन की कुल राशि (करोड़ रुपए)	
आयातक	निर्यातक	फॉरवर्ड	एफ़सीवाई-आईएनआर ऑप्शन

अनुलग्नक XX

अनिवासी आयातक/निर्यातक द्वारा किए गए संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग - को समाप्त तिमाही के लिए

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम -

क्रम संख्या	अनिवासी निर्यातक/ आयातक का नाम	विदेशी बैंक का नाम (मॉडल I के मामले में)	रद्द किये गए व्युत्पन्न लेनदेन की संख्या इसके साथ अंतर्निहित व्यापार लेन-देन का निरस्तीकरण और शामिल राशि	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा की गई कार्रवाई

परिशिष्ट

जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन विषयक मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची

क्रम संख्या	अधिसूचना /परिपत्र	तारीख
1	अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी	3 मई 2000
2	अधिसूचना संख्या फेमा 28/2000-आरबी	5 सितंबर 2000
3	अधिसूचना संख्या फेमा 54/2002-आरबी	5 मार्च 2002
4	अधिसूचना संख्या फेमा 66/2002-आरबी	27 जुलाई 2002
5	अधिसूचना संख्या फेमा 70/2002-आरबी	26 अगस्त 2002
6	अधिसूचना संख्या फेमा 81/2003-आरबी	8 जनवरी 2003
7	अधिसूचना संख्या फेमा 101/2003-आरबी	3 अक्टूबर 2003
8	अधिसूचना संख्या फेमा 104/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003
9	अधिसूचना संख्या फेमा 105/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003
10	अधिसूचना संख्या फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी 2005
11	अधिसूचना संख्या फेमा 143/2005-आरबी	19 दिसंबर 2005
12	अधिसूचना संख्या फेमा 147/2006-आरबी	16 मार्च 2006
13	अधिसूचना संख्या फेमा 148/2006-आरबी	16 मार्च 2006
14	अधिसूचना संख्या फेमा 159/2007-आरबी	17 सितंबर 2007
15	अधिसूचना संख्या फेमा 177/2008-आरबी	1 अगस्त 2008
16	अधिसूचना संख्या फेमा 191/2009-आरबी	20 मई 2009
17	अधिसूचना संख्या फेमा 201/2009-आरबी	5 नवंबर 2009
18	अधिसूचना संख्या फेमा 210/2010-आरबी	19 जुलाई 2010
19	अधिसूचना संख्या फेमा 226/2010-आरबी	16 मार्च 2012
20	अधिसूचना संख्या फेमा 240/2010-आरबी	25 सितंबर 2012
21	अधिसूचना संख्या फेमा 286/2013-आरबी	5 सितंबर 2013
22	अधिसूचना संख्या फेमा 288/2013-आरबी	26 सितंबर 2013
23	अधिसूचना संख्या फेमा 303/2014-आरबी	21 मई 2014
1	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 92	4 अप्रैल 2003
2	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र संख्या 93	5 अप्रैल 2003
3	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 98	29 अप्रैल 2003

4	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.108	21 जून 2003
5	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28	17 अक्टूबर 2003
6	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 46	9 दिसंबर 2003
7	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 47	12 दिसंबर 2003
8	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 81	24 मार्च 2004
9	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 26	1 नवंबर 2004
10	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 47	23 जून 2005
11	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 03	23 जुलाई 2005
12	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 25	6 मार्च 2006
13	ईसी.सीओ.एफएमडी। सं.8/02.03.75/2002-03	4 फरवरी, 2003
14	ईसी.सीओ.एफएमडी। सं.14/02.03.75/2002-03	9 मई 2003
15	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं. 345/02.03.129(नीति)/2003-04	5 नवंबर, 2003
16	एफई.सीओ.एफएमडी.1072/02.03.89/2004-05	8 फरवरी, 2005
17	एफई.सीओ.एफएमडी। 2/02.03.129(नीति)/2005-06	7 नवम्बर 2005
18	एफई.सीओ.एफएमडी 21921/02.03.75/2005-06	17 अप्रैल 2006
19	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.21	13 दिसंबर 2006
20	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.22	13 दिसंबर 2006
21	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.32	8 फरवरी 2007
22	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.52	08 मई 2007
23	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.66	31 मई 2007
24	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 76	19 जून 2007
25	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 15	29 अक्टूबर 2007
26	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17	6 नवंबर 2007
27	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.47	3 जून 2008
28	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.05	6 अगस्त 2008
29	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.23	15 अक्तूबर 2008
30	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.35	10 नवंबर 2008
31	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.50	4 फरवरी 2009
32	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.27	19 जनवरी 2010
33	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 05	30 जुलाई 2010
34	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.32	28 दिसंबर 2010

35	35 ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.60	16 मई 2011
36	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.67	20 मई 2011
37	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.68	20 मई 2011
38	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.3	21 जुलाई 2011
39	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.50	23 नवंबर, 2011
40	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.58	15 दिसंबर 2011
41	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.63	29 दिसंबर, 2011
42	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.68	17 जनवरी 2012
43	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.122	09 मई 2012
44	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.3	11 जुलाई 2012
45	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.13	31 जुलाई 2012
46	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.21	31 अगस्त 2012
47	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.30	12 सितंबर 2012
48	ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.45	22 अक्तूबर 2012
49	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 86	1 मार्च 2013
50	बी.पी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.121	26 जून 2013
51	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 2	4 जुलाई 2013
52	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 7	8 जुलाई 2013
53	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17	23 जुलाई 2013
54	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.18	1 अगस्त 2013
55	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 36	4 सितंबर 2013
56	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 40	10 सितंबर 2013
57	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 61	10 अक्टूबर 2013
58	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 92	13 जनवरी 2014
59	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 96	20 जनवरी 2014
60	बी.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 114	27 मार्च 2014
61	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 119	7 अप्रैल 2014
62	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 135	27 मई 2014
63	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 147	20 जून 2014
64	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 148	20 जून 2014
65	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 28	8 सितंबर 2014

66	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 34	30 सितंबर 2014
67	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 58	14 जनवरी 2015
68	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 78	13 फरवरी 2015
69	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 90	31 मार्च 2015
70	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 91	31 मार्च 2015
71	एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 103	21 मई 2015
72	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 112	25 जून 2015
73	ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 20	8 अक्टूबर 2015

इस परिपत्र को फेमा, 1999 और उसके तहत जारी नियमों/विनियमों/विनियमों/ निर्देशों /आदेशों/अधिसूचनाओं के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।